हरियाणाा विधान सभा

की

कार्यवाही

9, जुलाई, 1976

खण्ड 2 अंक 5

अधिकृत विवरण

विशय सूची

भुक्रवार, 9 जुलाई, 1976

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उतर	(5) 1
अतारांकित प्र न एवं उतर	(5) 31
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(5) 33
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(5) 34
मेज पर रखे गए कागज पत्र	(5) 34
वि ोशाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन पे ा करना तथा	
अन्तिम प्रतिवेदन देने का समय बढ़ाना	(5) 35
लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन पे ा करना	(5) 36
दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० 3) बिल, 1976	(5) 36
दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (सैकिण्ड अमैडमैंट) बिल, 1976	(5) 50
दि पंजाब कोआप्रटिव (हरियाणा सैकिड अमेंटमैंट) बिल,	(5) 51

1976	
दि ईस्ट पंजाब मोलैसिज (कन्ट्रोल) हरियाणा अमैटमैट बिल, 1976	(5) 60
दि इंडस्ट्रियल डिस्पयूटस (हरियाणा अमैडमैट) बिल, 1976	(5) 62
दि पंजाब खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड (हरियाणा अमैडमैट) बिल, 1976	(5) 65
दि पंजाब भूदान यजना (हरियाणा अमैडमैंट) बिल, 1976	(5) 66
दि डौरी प्रोहिबि ान (हरियाणा अमैडमैट) बिल, 1976	(5) 68
दि हरियाणा वैट्रनरी काउंसिल बिल, 1976	(5) 71

हरियाणा विधान सभा

भुक्रवार, 9 जुलाई, 1976

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चंडीगढ़ में 9.30 बजे प्रातः हुई। अध्यक्ष (चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उतर

Mr. Speaker: Question Hour.

Amount deposited for the street light on the Mathura Road

Ch. Ram Lal Wadha: Will the Chief Minister be state-

(a) The exact date fo the amount deposited with the Haryana state Electricity Board by the Faridabadd Complex for the street light on the Mathura Road form one complex area to the other complex area; and

(b) the time by which the said work is likely to be completed?

State Minister for Irrigation & Power (Sardar Harmohinder singh):

(a) 17-5-74

(b) The work has been completed except 2 K.M. portion, which will be energized on receipt how material from

the Faridabad Complex administration, who hav committed to supply the same.

Government and privately owned Agricultural Tube wells in the State

Ch. Dal Singh: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of Government & privately owned agricultural tube wells in the state as on 31st March, 1976:

(b) the total number of Government and private agricultural tube wells installed in the state during the financial years 1974-75 & 1975-76 respectively:

(c) the total area irrigated by the government and privately owned agricultural tube wells during the financial year 1975-76 respectively;

(d) the amount of revenue realized by the Government from the agriculturists for the supply of water from Government tubewells during the year 1975-76?

State Minister for Irrigation & Power (Sardar Harmohinder singh Chatha):

(a) 1125 sate direct irrigation MITC tube wells, 1018 augmentation MITC tube wells and 204725 agricultural privately owned tube wells.

Tub wells installed during the year

	1974-75	1975-76
State direct irrigation tub wells (MITC)	123	86
State augmentation tube wells (MITC)	97	95
Privately owned tube wells	22415	13651
(c) MITC MITC Augmentation direct irr. tube wells tub ewells	Privately owned tube wells	

Area irrigate	52188 hectares	Included in area under canal irrigation	719469 ;hectares

(d) Rs. 40,74,961.58

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, उन्होने फरमाया है 2 लाख 7 हजार ट्यूबवैल्ज है और एरिया पौने 8 लाख हैक्टेयर होता है, इसके हिसाब से एक ट्यूबवैल 4 हैक्टेयर एरिया इरिगेट करता है। मै पूछना चाहता हूं कि क्या एक ट्यूबवैल के पीछे यह 4 हैक्टेयर की इरिगे ान कम नही है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः स्पीकर साहब, प्राइवेट ट्यूबवैल्ज के मुताल्लिक मैने पहले भ अर्ज किया था कि उनका

एवरेज एरिया 2—3 हैक्टेयर से ऊपर ए ाोयर्ड इरिगेट हो ही नही सकता।

Vasectomy and Tubectomy Operations

Ch. Shiv Ram Verma: Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) the number of Vasectomy and tubectomy operations performed, separtely, under the Famiuly planning in the state during periof from 1st April, 1975 to 31st March, 1976;

(b) the age-limit prescribed for vasectomy operations ; and

(c) the steps taken by the government for providing incentives for family planning?

Industries Minister (Sh. Harpal Singh):

(a)	(i) Vasectomy operations	35012
	(ii) Tubectomy operations	22930
	total	57942
(b) No. exact age has been prescribed for vasectomy operation but according to the departmental instructions the males fallking in the category of eligable couples (wife in the age group of 15 to 44 years) haveing tow or more children and between the age of 25 to to 50 years are ordinarily operated		

for vasectomy (c) with effect from 1st Mya, 1976, a cash incentive to each acceptor of vasectom/Tubectomy is given as follows:-	
(i) Persons havein tow or less living children	Rs. 120 (including diet) and Transportation charges up to Rs. 5.
(ii) Persons having three living children	Rs. 70 (including diet) and Transportation charges upto Rs. 5
(iii) Persons with 4 or more living children	Rs. 40 (including diet) for vasectomy and Rs. 45 (including diet) for Tubectomy and Transportation charges up to Rs. 5 in both cases.

चौधरी ि ाव राम वर्माः स्पीकर साहब, वजीर साहब ने बताया है कि दो बच्चों के बाप को ज्यादा इनसैथ्टव मिलेगा, तीन वालों के पिता को उससे कम मिलेगा और चार वालों के पिता को उससे कम मिलेगा तो क्या मै पूछ सकता हूं कि जिसके बच्चे ज्यादा है उनको अगर ज्याद इनसैटिव बढ़ाये तो उससे पापुले ान कंट्रोल में आने से ज्यादा फायदा नही होगाा? वह लोग भी वैस्क्टमी आपे ान के लिय ज्यादा आयेगे?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब यह सैटर से पालिसी आती है अम उसके मुताबिक पैसा देते है।

चौधरी ि ाव राम वर्माः स्पीकर साहब, केन्द्रीय सरकार की पालिसी तो है ही लेकिन क्या आप अपने तजुबे के अनुरूप केन्द्रीय सरकार को सुझाव देगे कि इस तरह की पालिसी बनाने से हम पालुले ान कंट्रोल करने में ज्याद सफल हो सकते है?

मुख्य मुत्री (श्री बनारसी दास गुप्त)ः स्पीकर साहब, मेरे ख्याल में तो यह पालिसी ज्यादा अच्छी है। अगर 2–3 बच्चों के बाद आप्रे ान करवाना है तो मै समझता हूं वह ज्यादा बहादुरी करता है, अगर 5–7 बच्चे करके करवाये तो उसका क्या फायदा होगा?

चौधरी दल सिंहः क्या वजीर साहब के नोअिस में यह बात है कि कई ऐसे आदमियों के आप्रे ान किये जा रहे है जो औलाद पैदा करने के काबिल नही और कई लड़कों के आप्रे ान किए है जिनके औलाद नही थी?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, ऐसे कोई केस हमारे नोअिस में नही आये लेकिन अगर कोई आदमी जिसके औलाद न हो जो आप्रे ान कराना चाहता हो, हो सकता है उसका कर दिया हो लेकिन कोि ाश यही की जाती है कि जिनके औलाद न हो वह न कराय। मै हाउस की इनफर्मे ान के लिए बता देता हूं कि वैस्क्टमी को बाद में ठीक भी किया जा सकता है। चौधरी दल

सिंह के नोटिस में अगर एक भी ऐसा केस है तो हमें बताये तो उसको ठीक कर देगे।

श्री गिरी ा चन्द्र जो ीः फैमिली प्लानिग से बर्थ–रेअ में कितने परसेटेज की कमी हुई है?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, हर साल बर्थ रेट कुछ न कुछ कम होती जा रही है और हमारे प्रांत हरियाणा में बर्थ रेअ ज्यादन नही है इस लिहाज से अव्वल नम्बर पर है।

चौधरी पीर चन्दः स्पीकर साहब, अगर किसी मंत्री ने 11वां बच्चा पैदा किया हो तो उसका आप्रे ान करवाने का इन्तजाम करवायेगे? (हंसी)

(कोई जवाब नही दिया गया)

चौधरी ि ावराम वर्माः क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि जो परिवार नियोजन कार्यक्रम चल रहा है उसको अगर हम देखे तो पता लगेगा कि जब हरियाणा बना था उस समय जितनी आबादी थी आज उससे डेढ़ गुना हो गई हौ तो इसको फैमिली प्लानिग की सफलता कैसे कहा जा सकता है।

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, यह ठीक है आबादी जितनी तेजी से बढ़ी है उसको कंट्रोल करना जरूरी है इसलिए हमारी प्रधान मंत्री ने इसकी ओर ध्यान दिलाया है और हमारे यूथ लीडर श्री संजय गांधी ने भी यूथ्स को इस तरफ लगाया है

इसलिए मै समझता हूं सभी लोगों को चाहिए, चाहे वे कसी पाटी से ताल्लुक रखते हो, सब का फर्ज बनता है कि आबादी को कंट्रोल करने में मद दें। हम चाहे जितनी भी प्रोडक ान बढ़ा ले उस से हमारे जीवन पर कोई फर्क नही पड़ेगा, जब तक हम पापुले ान कंट्रोल नही करेंगे। बहुत से मैम्बर साहिबान ने इस सम्बन्ध में हमारा सहयोग दिया है मै उनका धन्यवाद करता हूं और मै सबसे अपील करूंगा की आप सब इस काम में हामरे साथ भाामिल हों ताकि पालुले ान पर कंट्रोल हो।

श्री धजा रामः क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि बढ़ती हुई आबादी को मदेनजर रखते हुए स्टेट गवर्नमैट कोई ऐसा कानून लाने का विचार रखती कि जिनके तीन बच्चे है उनको लाजमी तौर पर आप्रे ान करवाना पडे?

श्री बनारसी दास गुप्तः ऐसा है अध्यक्ष महोदय, हमने यह नि चय किया था कि कानून के द्वारा बढती हुई आबादी पर रोक लगाई जाए। उसके लिए हमने कानून का प्रारूप भी तैयाद किया, हमारी मंत्री परिशद ने पास किया और ऐप्रूवल के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजा। अभी तक वहां से ऐप्रवूल मिली नही है। इसके साथ ही मै यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दिनों प्रधान मंत्री जी ने इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए तमाम मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में बुलाया था और उन सब उपायों पर बड़ी गम्भीरता के सथ विचार किया गया था कि किस प्रकार बढती हुई आबादी को रोका जाए। वहां विचार विम र्

के बाद जा ककुछ हमने महसूस किया वह यह है कि केन्द्रीय सरकार की और प्रधान मंत्री जी की ऐसी नीति प्रतीत होती है कि वे इस समस्या को कानून के द्वारा रोकना नही चाहते। उनका इरादा है कि परसुए ान से, समझा बुझाकर या प्रचार से इस समस्या को हल किया जाए। अगर भारत सरकार ने हमें अनुमति दी तो हम हम अवश्य ही कानून पास करके इस कंट्रोल करेगे।

श्री गिरी ा चन्द्र जो ीः क्या मंत्री जी बताएंगे कि जो जिला या सब डिवीजन फैमिली प्लानिंग में अग्रणीय रहा हो उसको विकास कार्य के लिए प्राथमिकता दी जाने की कोई योजना है?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, इसके लिए हमने एक कम्यूनिटी इंसैन्टिव स्कीम चालू की है। इसके अनुसार जो डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट, सैकिण्ड और थर्ड आता है उसको कुछ मदद की जानी हीं डिवैल्पमैट वर्कस के लिए फर्स्ट आने वाले को एक लाख रूपये, सैकिण्ड को 75 हजार रूपये और थर्ड को 50 हजार रूपये देने का प्रोविजन किया है।

श्री गिरि ा चन्द्र जो ीः जो जिले पिछले साल अग्रणीय रहे है क्या उनको भी इंसैन्टिव दिया जाएगा?

श्री हरपाल सिंहः जी हा, उनको भी इसी लिहाज से दिया जाएगा।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, आज प्रैक्टिकल काम करने का जमाना है। कया मुख्य मंत्री जी यह आ वासन देगे कि

तमाम मिनिस्टर्ज को आप्रे ान करवा दिया जाएगा? वे यह भी बताएं कि अब तक कितने मिनिस्टर्ज ने आप्रे ान करवाया है? (विध्न)

श्री बनारसी दास गुप्ताः चौधरी गोवर्धन दास को छोड़ कर सबका करवा दिया है.....(हंसी).....

विकास एवं स्थानीय प्र ाासन राज्य मंत्री (चौधरी गोवर्धन दास चौहान): मैने भी करवा लिया है।

राव बंसी सिंहः क्या मंत्री जी बताएंगे कि फैमिली प्लानिंग के अन्दर कौनसा जिला फर्स्ट आया है और कौनसा सैकिण्ड?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, पिछले साल सिरसा फस्ट आया है और महेन्द्रगढ भाायद सैकिड।

श्रीमती लेखवती जैनः जनाब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि कानून बना नही सकते। मै यह रिक्वैस्ट करूंगी कि अगर कानून नही बना सकते तो कम से कम जितने हमारे औफिसिज है, म्यूनिसिपल कमेटीज है, कैनटोनमैट बोर्डज है, उनके जो अफसर साहबान है, वे अपने महकमे के आदमियों को समझा बुझा तो सकते है। प्रायः देखा गया है कि स्वीपर्ज के यहां ग्यारहा–ग्यारहा बारहा–बारहा बच्चे होते है। यदि उन्हें अफसर साहबान समझाएं तो हो सकता है कि कुछ फर्क पड़े। (विध्न) स्पीकर साहब, पिछले दिनों रेलवे मिनिस्अर साहब की एक स्टेटमैट

अखबार में आई थी। उन्होने रेलवे के अफसर साहबान को अपने कर्मचारियों को समझाने की अपील की थी। मै समझती हूं कि यदि हमारे यहां भी इस तरह की बात हो जाए तो काफी सुधार हो सकता है।

Mr. Speaker: Are you giving a suggestion or are you putting a supplementary?

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, फैमिली प्लानिग का जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें काफी डिसक ानप हुई, सलाह म वरे हुए, प्रधान मंत्री की अध्यक्षमात में सैमिनार्ज भी हुए और मीटिग्ज भी हुइ। क्या मुख्य मंत्री जी यह फरमायेगे कि क्या वे यह पता लगा पास है कि क्या मुख्य करण है जिसकी वजी से आबादी तेजी से बढती है है? इसमें गरीबी का मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि इलैक्ट्रिफिके ान से फैमिली प्लानिग को बड़ी हैल्प मिलती है। हरियाणा में तो सैट परसैट रूरल इलैक्ट्रिफिके न हुई है। तो क्या वे बताएंगे कि इससे फैमिली प्लानिग में कुछ मदद मिली है या नही मिली है?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, बिजली से फायदा तो जरूर पहुंचता है लेकिन रहने कार चूंकि कुछ पैट्रन भी बदल गया है इसलिए कोई अधि लाभ भाायद नही हुआ। ज्यादा आबादी बढ़ने में कुछ अं ा गरीबी का भी है लेकिन अधिक कारण मैं और ही समझता हूं। भारतवर्श की कुछ ऐसी परम्परा रही है कि यहां आ ार्वाद दिया जाता है कि दूधो नहाओं पूतो फलो। ज्यादा

बच्चे जिसके हो उसको ज्यादा भाग्यवान समझा जाता है उस प्राचीनता का प्रभाव अभी तक चला आ रहा है।

चौधरी दल सिंहः बढती हुई आबादी को रोकने के लिए क्या सरकार विवाह के लिए लड़के की उमर 25 साल और लड़की की उमर 20 साल करने का विचार रखती है?

श्री बनारसी दास गुप्तः ऐसा सुझाव अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री सम्मेल में आया था और उसके फलस्वरूप भाादी के योग्य लड़के की उमर 21 साल और लड़की की अमर 18 साल कर रहे है। मैने यह सुझाव रखा था कि लड़के की उमर 25 साल औ लड़की की मर 20 साल की जाए परन्तु हमारे कुछ मुख्य मंत्री जी खास तौर पर पहाडी इलाके को रिप्रैजैन्ट करते थे या आदिवासी इलाके को रिप्रैजन्ट करते थे वे इससे सहमत तो थे लेकिन वे ऐसा समझते थे कि यह उनके प्रदे ाो मे ंप्रैक्टिकेवल नही होगा। इसलिए उमर कुछ बढा बढा कर 21 और 18 वर्श ही की जा रही है।

श्री जगजीत सिंह टिक्काः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अग्रणीय रहने वाले जिलों की पोजी ान तो बताई है लेकिन क्या वे ब्लाक की पोजी ान भी बता सकेगे?

श्री हरपाल सिंहः इसके लिए तो सैपरेट नोटिस चाहिए।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, अभी मुख्य मंत्री जी ने फरमाया कि दे ा में और हरियाणा में वि ोशकर ऐसे परम्परा

रही है कि लड़के का खास तौर पर पैदा होना अच्छा और जरूरी समझते रहे है। मै उनसे आपके द्वारा अब यह पूछना चाहता हूं कि दे ा आजाद होने के बाद परसैन्टेज हो पापुले ान की बढत्री है वह पहले ही निस्बत ज्यादा है या कम है?

श्री बनारसी दास गुप्तः आजादी के बाद तो वह बढ़ी है।

चौधरी रिजक रामः दे ा आजाद होने के बाद परसैन्टेज पर थाउजैन्ड या पर हन्डर्ड बढ़ी है या कम हुई है?

श्री अध्यक्षः आबादी पहले भी बढ़ती थी लेकिन अब कंपैरेटिवली पहले से ज्यादा बढ़ी है या कम बढ़ी है?

श्री बनारसी दास गुप्तः बर्थ रेट कम हुआ है लेकिन साथ साथ डैथ रेट भी बहुत कम हो गया है।

चौधरी ि ाव राम वर्माः स्पीकर साहब, फैमिली प्लानिंग के लिए अीी तक इन्होने जो साधन अपनाए है वह नसबन्दी और नलबन्दी है लेकिन दूसरे प्रचार जो इसमें सहायक हो सकते है जो हमे ाा से इस दे ा में परम्परा रही है क्या उस प्रचार को भाुरू करके इस काम में सहायोग प्राप्त नही किया जा सकाता? ब्रह्मचारी रहने से मनुश्य की भााक्ति बढ़ती है, भाारीरिक बल बढ़ता है और उसके विचार भी भाुद्र होते है। अगर यह प्रचार किया जाए तो काफी असर हो सकता है। सरकार इस और कया नही सोच रही है? एक बात और मै कह देना चाहता हूं कि सरकार लोगों के

खान पान की तरफ भी ध्यान दे। यह सरकार तो खान पान की आदत को सुधारने की बजाय भाराब का प्रचार बढ़ाती जा रही है।. .....(विध्न) .....

Mr. Speaker: Order please.

चौधरी ि ाव राम वर्माः स्पीकर साहब, इसका फैमिली प्लानिग से ताल्लुक है जो भाराबर पीकर जाएगा, क्या वह फैमिली प्लानिग के प्रचार पर ध्यान मैं रखेगा?

श्री अध्यक्षः फैमिली प्लानिग से तो तो बहुत सी चीजजों का ताल्लुक है। आप कोई क्वै चन पुट करे।

चौधरी ि ाव राम वर्माः क्या सरकार इस वर विचार करेगी?

श्री बनारसी दास गुप्तः ऐसा है अध्यक्ष महोदय कि ये जो उपाय अपना रखे है वे तो हम इम्लीमैंट कराते हरे है दूसरे उपाय ये अपना ले। (हंसी)

चौधरी ि ाव राम वर्माः यह तो हो नही सकता यदि ये भाराब की दुकाने खोलते रहे। (विध्न) क्या यह सरकार भाराब का प्रचार न करके ठीक खान पान और ब्रह्मचर्य आदि का प्रचार करेगी ताकि लोग बहुत जल्दी इसकों अपनाएं?

श्री निहाल सिंहः क्या मुख्य मुंत्री जी के नोटिस में यह बात है कि कुछ व्यक्ति इस फैमिली प्लानिंग के खिलाफ है? हमारा

प्रचार तो यह है कि अगरा बच्चा अीाी नही, दो दो के बाद कभी नही। लेकिन इनकी पार्टी कहती हैकि अगला बच्चा अभी अभी, आठ के बाद कभी नही। (हंसी)

चौधरी ि ाव राम वर्माः स्पीकर साहब, मेरा सवाल यह है कि सरकार इस ओर कया नही सोच रही है कि भाराब न पी जाये और खाने पीने क बारे मे ंप्रचार किया जाये जिससे इस समस्या को हल करने में मदद मिल सकती हैक।

Mr. Speaker: order please. No repetition.

चौधरी ि ावराम वर्माः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का तो जवाब ही नही आया।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, एडहोक बेसिज पर टीचर लगाते है तो कहते है कि दो केस नस बंदी के लाओं तब लगायेगे, इन्तकाल चढवाना हो तो कहते है कि नस बन्दी करओं, कर्जा लेना हो तो कहते है कि नस बन्दी करओं तो क्या सरकार ऐसी इन्स्ट्रक्शन जारी करेगी कि नसबन्दी जबरदस्ती न करके परसुए ान से की जाये?

श्री बनारसी दास गुप्तः अध्यक्ष महोदय ऐसा है कि जो भी उपाय हम अपनाते है, बढती हुई आबादी को रोकने की लिए, उनकी ये विरोधी दल के भाई नुक्ताचीनी करते है इनहोने अपनी भाशण में कभी नकी कहा कि फैमिली प्लानिग को अपनाना चाहिए। यह रिकार्ड निकलवा कर दे लो। जो भी काम हम करते

है, ये उसकी नुक्ताचीनी करते हैं सहयोग देने की बजाए इनकी नीयत यह है कि रूकावट डाली जाये। हम गौरव के साथ कहते है कि हरियाणा प्रदे ा फैमिली प्लानिंग में, दे ा में प्रथम रहा है और जो भी तरीके अपनाते है है वे परसुऐ ान के है, न हमने किसी के साथ ज्यादती की अै और न की जायेगी।

श्री रामधार गौड़: क्या सरकार न कोई एसा उपाय किया है कि ज्यावयंट फैमिली सिस्टम रह सके क्यों ज्वायंट फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब हो गया हो तो मुझ पता नही, किसी और का तो डिस्टर्ब हुआ नही।

चौधरी हरस्वरूप बुरा: स्पीकर साहब, जो फैमिली प्लानिंग में आपरे ान करते है उसके लिए एक्सपर्ट डाक्टर लगाये जाये। एक्सपर्ट डाक्टरों द्वारा आपरे ान न होने के कारण हरियाणा के लोगों इस फैमिली प्लानिंग से दूर भाग रहे है वरना लोग आपेर ान कराने के लिए तैयार है। तै मै मिनिस्टर महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रोबलम की तरफ ध्यान दिया जायेगा?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, यह बिल्कुल दुरूस्त नही है कि आप्रे ान के लिए एक्सपर्ट नही भेजे जाते है। जो भी डाक्टर इस काम को जानते है, उनही की डियूटी लगायी जाती है।

चौधरी ि ावराम वर्मा: जैसाकि मंत्री महोदय ने अपने जवाब में लिखा कि 25 से 50 की उम्र तक लोगों का आपरे ान

किया जाता है तो मै मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई आयु निि चत नही है क्योंकि आयु निि चत न होने से गलतिया होने की सम्भावना है, क्या सरकार आयु निि चत करने पर विचार करेगी?

श्री हरपाल सिंहः कल को वर्मा साहब आपरे ा कराने के लिए आयेगे तब उनकी आयु निि चत करानक का सवाल पैदा होगा। इसके लिए हम ऐसा कर रहे है कि पचास साल के बाद अगर कोई व्यक्ति आपरे ान करवाता है तो उसको हम इनसैटिव मनी नही देते। कई बार ऐसा होता है कि कोई पचास की आयु में दुबारा भाादी करवा ले तो नयी भाादी होने के कारण उसकी बीबी की री–प्रोडैक्टिव ऐज होती है तो इन हालात के अन्दर आपरे ान करवा ठीक समझते है।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): स्पीकर साहब, मै आपके द्वारा चीफ मिनिस्अर साहब से प्रार्थना करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्षः प्रार्थना नही सप्लीमैटरी करो।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): स्पीकर साहब, मै फैमिली प्लानिंग का बड़ा समर्थक हूं मै चाहता हूं कि फैमिली प्लानिंग कामयाब हो। फैमिली प्लानिग को कामयाब करने के लिए कोई जबरदस्ज्ञती करनी पड़े तो भी मुझ कोई एतराज नही। मै इस बारें में एक बाम कहता हूं कि आपरे ान की मेज पर ले जाने से पहले यह चैक किया जाना चाहिए कि वह आपरे ान के काबिल भी है

या नही, खून की मिकदार है या नही। कुछ केसिज में जो खराबी आती उसकी वजह यही है कि उनको चैक नही किया जाता। दूसरे जो यह फैमिली प्लानिग का अभियान चला उसमें कुछ स्कूल मास्टर्ज और मास्टरानियां अभी हाल तक भागह हुए है जबकि हमारा टारगेट भी पूरा हो चुका है तो क्या सरकार उन मास्टर्ज और मास्टरानियों को वापिस घर लाने का कश्ट करेगी?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, चौधरी फूल चन्द जी ने गलत कहा है कि टीचर्ज लौटे नही है और अभी तक भागे हुए है। दूसरी बात स्पीकर साहब यह है कि जो स्ट्रलाइजे ान करवा लेते है उनको सैटीस्फाइड कस्टमर्ज कहते है। डिपार्टमैट उनको यूज करता है। वे सैटस्फाइड आदमी वहां कैम्पो में जाते है और लोगों में प्रचार करते है, उनको समझाते है कि हमने आपरे ान करवाया था, वह ठीक हुआ है। चौधरी फूल चन्द जी भी हमारे सैटीस्फाइड कस्टमर बन जायें तो हम उनके धन्यवादी होगे।

चौधरी बृज लालः स्पीकर साहब, यह जो आपरे ान होते है, उनमें 70–70 साल के बूढो के भी आपरे ान हुए है, यहां तक उन लोगों के भी हुए जिनकी औरते नही है। तो क्या मंत्री महोदय ऐसे केसिज में आपरे ान कने पर पाबन्दी लगायेगे?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, हमारे डायरैक्टर सौन्धी साहब बता रहे थे कि एक कैम्प में कोई 60–70 साल का बूढा आपरे ान कराने पर पाबन्दी लगायेगे?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, हमारे डायरैक्टर सौन्धी साहब बात रहे थे कि एक कैम्प में कोई 60–70 साल का बूढा आपरे ान करवाने के लिए आ गया। सौन्धी साहब ने कहा कि तेरी उम्र भी ज्यादा है और तेरी औरत भी नही इसलिए आपरे ान कराने की क्या आव यकता है। कुछ नौजवान जो वहां खड़े हुए थे वे हंसने लगे। तो उस बूढे ने ज्वाब दिया कि मेरी बीबी नही है तो इन नौजवानों की तो है। (हंसी)

चौधरी रिजक रामः अभी मुख्य मंत्री महोदय ने फरमाया है कि फैमिली प्लानिंग का अभियान चलाने के बावजुद भी जितना बर्थ रेट रूकना चाहिए उतना रूका नही है मै एक बात का हवाला देते हुए मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कुछ अर्सा हुआ एक स्त्रीको बच्चा पैदा हुआ लकिन उसका खाविन्द बहुत मुददत से बाहर रहता था। पडोस की औरतों ने पूछाा कि खाविन्द तो बाहर रहता है तुम्हे बच्चा कैसे पैदा हो गया। सास ने कहा कि खतो खिाताबत होती थी उससे बच्चा पैदा हो गया। औरतों ने कहा कि चिट्ठी से कैसे पैदा हो सकता है? उनकी सास ने कहा कि मुझ जब यह बच्चा पैदा हुआ तो चिट्ठी भी नही आयी थी तो क्या मुख्य मंत्री जी को इज्ल्म है कि जिस प्रकार से जनता बच्चा पैदा करने के नये नये डिवाइसिज सोच रही है, क्या इसी प्रकार सरकार भी बच्चे न पैदा होने के लिये नये डिवाइसिज पर विचार कर रही है?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना है कि मैम्बारान को मर्यादा के अन्दर ही प्र न पूछने चाहिए।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि फैमिली प्लानिग के प्रोग्राम में तेजी लाने के लिए पटवारी लोगों को परसुएड करते है और बाकायदा तसल्ली करवा करवा उनका आपरे ान किया जाता है। अभी पिछले दिनों एक आदमी कोक पटवारी परसुएड करके आपरे ान के लिए लाए और जब कपड़े उतार कर उसको कमरे में ले जाया गया तो डाक्टर औजार निकाल कर लाया। वह आदमी औजार देखकर अपने कपड़े उठाकर भाग गया। उसके पीछे पटवारी भागा और उसके पीछे डाक्टर। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि क्या औजार के बगैर फैमिली प्लानिंग का कोई और ऐसा तरीका नही है?

श्री बनारसी दास गुप्तः ऐसे भी है। औजरों के बगैर भी फैमिली प्लानिग की जासकती है।

श्री अध्यक्षः अगर कोई ऐसा तरीका हो तो रोहट साहब का आपरे ान बगैर औजारों के कर दो।

Case of Embezzlement in the Cooperative Societies

*** Rao Dalip Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the tottal number of cases of embezzlement in the cooperative societies registered in the state during the finacial years 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1975-76 and 1976-77 to date;

(b) the total amount involved in the case of embezzelements referred to in part (a) above; and

(c) whether any amount has been recovered so far?

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of this question which has been granted. The communication received from the Chief Minister is as follows:-

BANARSI DASS GUPTA Cii-76/3453

Chief Minister, Haryana,

Chandigarh.

Chandigarh, dated the 6the July, 1976

Subject: Starred Assembly question No. 1671 asked by Rao Dalip Singh, M.L.A. regarding cases of embezzlement in the cooperative societies.

My Dear Ch. Sahib

I write to inform you that starred Assembly Question No. 1671 asked by Rao Dalip Singh, M.L.A., was received in the Secretariat (in Cooperation Department) on the 24th June, 1976. This Question has been fixed for answer on

9the July, 1976. As some information pertaining to this question is yet to be collected, I shall therefore, feel greatful if this qeustio is fixed for answer on any date after the 24th July, 1976.

with regards,

Yours Sincerely

Sd/-

(BANARSI DASS GUPTA)

Ch. Sarup Singh

Speaker,

Hareyana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

Buses allocated to Rohtak Depot and its Sub Depots

***1676 Sh. Partab Singh Tiagi:** Will the Minister for transport be pleased to state-

(a) the total number of buses allocated to Rohtak Depot and its sub depots i.e. Jhajjar, Gohana and Sonepat during the period from April, 1975 to March, 1976 alongwith the models

(b) the number of buses ourt of those referred to inpart (a) above which are not in working condition in the above said sub-depots; and

(c) whether tere is any proposal under consideration of the Government to make a full fledged depot at Sonepat?

ि ाक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क), (ख) तथा (ग) अपेक्षित सूचना सदन की मेज पर रखी जाती है।

रोहतक डिपो तथा इसके अधीन उप डिपुओंको ऐलोकेट की गई बसों की सूचना

(क) अप्रैल, 1975 से मार्च, 1976 की अवधि में रोहतक डिपु को 30 नई गाड़ियां दी गई थी। प्रत्येक सब डिपों को दी गई गाड़ियों की संख्या नीचे दी गई है:—

सब डिपु का नामु	नई गाड़िया दी गई
रोहतक	21
झज्जर	4
गोहाना	4
सोनीपत	1

सब डिपो में माडल के अनुसार विवरण निम्न प्रकार से है:–

माडल	रोहतक	गोहाना	झज्जर	सोनीपत
1968	24	2	2	
1969	20	3	3	5
1970	22	5	6	2
1971	12	11	6	3
1972	7	2	8	9
1973	17	5	2	2
1974	4	4	4	
1975	30	2	2	1
कुल	136	34	33	22

(ख) भाग (क) मै दी गई सब डिपों की सब गाड़िया चालू हालत में है।

(ग) इस समय सोनीपत में मुख्य डिपों खोलने का प्रस्ताव विचारधीन नही है।

श्री प्रताप सिंह त्यागीः स्पीकर साहब, रोहतक डिपों को 30 बसे अलाट की गई जिनमें से सोनीपत सब डिपों को सिर्फ 1 बस दी गई है और 1969 में बीस बसों में से सिर्फ 2 बसे दी गई है। सोनीपत में काफी र ा रहता है ओर जो भी वहां बसे है वह भी काफी खराब हालत में हैं क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि सोनीपत डिपों को कम बसें देने का क्या कारण है?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः स्पीकर साहब, सब डिपों पर बसे जरूरत के अनुसार दी जाती है और सोनीपत ऐसी जगह है जो दिल्ली और चण्डीगढ के रास्ते में आती है और इसलिए आने जाने वाली बसे उधर से बहुत संख्या में गुजरती है।

चौधरी फूल सिंह कटारियाः स्पीकर साहब, झज्जर सब डिपों में बहुत थोडी बसें है और वह रास्ते में भी नही पड़ता जैसे कि सोनीपत पड़ता है। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि झज्जर सब डिपों पर और ज्यादा बसें दी जाएंगी?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः स्पीकर साहब, झज्जर सब डिपों में तो सोनीपत सब डिपों से भी ज्यादा बसें है। जरूरत के मुताबिक बसें दी जाती है। झज्जर में कोई दिक्कत वाली बात नही है। अगर आनरेबल मैम्बर किसी और जगह कानाम बताएं जहां बसों की जरूरत है तो उसको दिखवा लिया जायेगा।

श्री गौरी भांकरः स्पीकर साहब, ऐसा देखा गया है कि बस के अन्दर दूसरा यानी फालतू टायर नही होता और अगर बस

रास्तें में टायर की वजह से खराब हो जाए तो वही खड़ी रह जाती है। क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि बस के अन्दर फालतू टायर सप्लाई किया जाएगा?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः ऐसी कोई बात नही है। कोि ा ा यही होती है कि स्टेपनी हरेक बस में हो।

चौधरी मनफूल सिंहः क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि झज्जर सब डिपों में कितनी बसें है और उनको मेक क्या है?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः स्पीकर साहब, झज्जर सब डिपों में 33बसे है। इनमें से 1968 की 2, 1969 की 3, 1970 की 6, 1971 की 8, 1973 की 2, 1974 की 4 और 1975 की 2 बसे है।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): स्पीकर साहब, रोहतक के सब डिपों सोनीपत में जो बसिज है वे सारी बसिज नकारा है। तकरीबन हर रोज तीन चार बसिज रास्ते में खड़ी रहती हरूै ओर जो चलती भी वे बहुत ज्यादा आवाज करती है.....

श्री अध्यक्षः आर्डर प्लीज, यह सप्लीमैटरी नही है।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): स्पीकर साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो बसिज का ऐलोके ान है वह ठीक नही है। स्टाफ से जब हम पूछते है है कि भई आपकी बसिज क्यों खराब रहती है तो वे कहते है कि ये पुरानी बसिज हैं यह जहै पूरी

जानकारी के आधार पर कह रहा हूं क्या मंत्री महोदया इसका इन्तजाम करने की कृपार करेंगी?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः स्पीकर साहब, ऐसी बात नही है कि सोनीपत सब डिपों में खराब बसें दी जाती ह। जब बसिज इतना सफर करती है तो कही ब्रेक डाउन भी हो सकता है।

श्री अमर सिंहः क्या मंत्री महोदया बतान की कृपा करेगी कि भिवानी डिपों में कितनी बसिज है और वहां कितनी बसों की डिमान्ड थी?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः स्पीकर साहब, टोटल बसें तो बताई जा सकती है। वैसे इस सप्लीमैटरी का क्वे चन से कोई सम्बन्ध नही हैं इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए।

चौधरी फूल सिंह कटारियाः क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि झज्जर सब डिपों में जो 33 गाड़िया है उनमें से 12 गाडियों को ब्रेक डाउन हुआ रहता है इसका क्या कारण है?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः स्पीकर साहब, ऐसी बात नही है कि वे गाड़ियां चलती ही नही है। थोड़ी बहुत मरम्मत के लिए गाड़ी वर्क ाप आती रहती है ओर रिपेयर होने के बाद रोड पर आ जाती है।

चौधरी मेहर चन्द्रः स्पीकर साहब पंडित चिरंजी लाल की कृपार से हामरे यहा एक सड़क बन गई है और वह सड़क है भट्टू से लेकर चूडी बागड़िया। यह ऐसी सड़क है कि भट्टू से चूड.ी बागडियां आने पर हिसार डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि उस रोड़ पर कब तक बस चलाने की कृपा की जाएगी?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः वैसे तो जहां सड़क पूरी हो जाती है और जनता की मांग होती है और यह देचखा जाता है कि बस चलाना जरूरी है तो वहां बस चलाने की इन्तजाम किया जाएगा?

Mr. Speaker: Order please. This is not a su;;oementary. This is a suggestion. I will not allow it.

चौधरी पीर चन्दः क्या मंत्री महोंदया यह बताने की कृपा करेंगी कि 1975–76 में हिसार डिपों को कितनी बसें भेजी गई?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः इसके लिए अलग से नोअिस चाहिए।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, मै कल दिल्ली गया था, मै इस पर एक सवाल भी करूंगा। उस बा का रस्तें मेकं एक स्कू ढीला हो गया और इस वजह से चार–पांच लीअर डीजल बाहर निकल गया। वह स्कू मु कि कल से दस आने का आता है होगा और उसकी वजह से दस रूपएण का डिजल खराब हो गया।

उस बस में कोई टूल नही था जिससे कि ड्राईवर उसको ठीक करता। उस बस का नम्बर एच. आर. ए. 9859 है। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि इसका क्या कारण है कि बस के अन्दर एक टूल भी नही होता और जाने से पहले उसकी चैकिग नही की जाती?

परिवहन मंत्री (श्री के. एल. पोसवाल): स्पीकर साहब, जब से हमने ट्रांसपोर्ट को ने ानेलाइजे ान किया है हमने ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें जुटाई हैं जी. टी. रोड पर एक रिपेयर के लिए बड़ी वैगन रहती है, कोई भी बस खराब हो जाए, किसी भी डिपों की बस खराब हो जाए उसको ठीक करते है। हर बस के अन्दर एक टूल बाक्स होता है जिससे छोटी मरम्मत आपने आप भी की जा सकती है। अगर कोई गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है तो नियरैस्ट जगह पर इंफरमे ान देते है और थोड़ी देर में ही खराब गाड़ी को रोड पर ले आते है।

श्री प्रताप सिंह त्यागी: स्पीकर साहब, मैने सोनीपत जिला के मुताल्लिक दो तीन पद्य तैयार किये है, आपकी इजाजत से वह मै आपको पढ़कर सुना देता हूं।

(क) मुफत हुए बदनाम सोनीपत जिला बनाके

इसमें एक सब डिपों सोनीपत है

क्या बताऊ रूट 24 है, बसे है 20

उनकी खट खरूट की मुसीबत है

थक गए पलटू और मुखराम

बसों मे धकके लगाके,

मुफत हुए बदनाम सोनीपत जिला बनाके।

(ख) सात–आठ साल एक पुरानी है,

नो की छः साल जिदगानी है।

दो है चौ साला.....(हंसी)

श्री प्रताप सिंह त्यागीः स्पीकर साहब, मैने तो सरकार आपसे पहले ही इस बारें में इजाजत ले ली थी।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, अक्सर बसे रोडज के ऊपर खराब हालत में खड़ी हो जाती है और जो दूसरे डिपोज की बसें होती है वह रास्ते मेकं खड़ी नही होती जिसके कारण सवारियों को बड़ी तकलीफा होती है। क्या ऐसी बात सरकार के नोटिस में है? क्या सरकार कोई कदम उठाने का विचार रखती है कि जब कभी कोई बस रास्ते में खराब हो जाए तो दूसरे डिपोज वाली बसे उनकों अपना पूरा सहयोग दें?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः स्पीकर साहब, ऐसी कोई बात हमारे नोटिस में नही आई कि दूसरे डिपोज की बसें रास्ते में न रूकती हो और सवारियों को न ले जाती हो।

श्री राम धारी गौड़: स्पीकर साहब, गोहाना का बस डिपों अभी फुल फलेजड नही है और वहां से सरकार को आमदनी भी बहुत ज्यादा हैं कया मिनिस्टर साहिबा बताएंगी कि कब तक वहां पर फूल फलेजड बस डिपों बना दिया जाएगा?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, ऐसी कोई परपोजल अीाी तक सरकार के विचारधनी नही है और न ही सरकार अीाी तक कोई ऐसी जरूरत ही महसूस कर रही है।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना): स्पीकर साहब, कुछ ब्रेकडाउन हुई बसे सड़कों से तो ठीक आ जाती है लेकिन जब वे बस अड्डो में एन्टर करती है तो वहां पर बड़े–2 खड्डे है जिनके कारण वे खराब हो जाती है, मिसाल के तौर पर अम्बाला भाहर का बस अड्डा जो है वहां पर बहुत बड़े–2 खड्डे है। क्या सरकार इस तरफ भी ध्यान देने की कृपा करेगी अगर देगी तो कब?

श्री के. एल. पोसवाल: स्पीकर साहब, जो बात मैम्बर साहब ने अम्बाला भाहर के अड्डे के बारें में कही है, वह बिल्कुल दुरस्त है और हम इसकी जल्दी ही मुरम्मत करवाने जा रहे है।

Amount spent for the purchase of spare parts

***1608 Ch. Ram Lal Wadhwa:** will the Minister for Transport be pleased to state-

(a) the depost wise total amount spent on the purchase of spare parts, Tyres and Tubes separately by the Haryana Roadwasys during the finacial years from 1972-73 to 1975-76 separately;

(b) the value of the spare parts and Tyres and Tubes which were lying in the stock o feach depot of the Haryana Roadwasys as on 31st March 1972, and

(c) the Value of the spare parts and Tyres an Tubes used during the period as referred to in part (a) above togetherwith the cost of the spare parts, Tyres and Tubes lying in the stores/Stock to-date, depost-wise, sepaately?

ि ाक्षा एवं परिवहन मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी): (क) (ख) तथा (ग) कथन 1 तथा 2 सदन की मेज पर रखे जाते है।

(क) वितीय वर्श 1972–73 से लेकर 1975–76 तक प्रत्येक डिपों द्वारा स्पेयर पार्टस, टायरज तथा टयूबज की खरीद का पृथक–2 रूप में कुल खर्च की गई धन रा ि ा का विवरण

	1972–73		1973–74	
	स्पेयर पार्टस	टायर और टयूबज	स्पेयर पार्टस	टायर और टयूबज
अम्बाला	2159948.00	1551385.00	3119607.00	1258316.00
गुडगांव	3146944.00	1809562.00	4932520.00	23.15742.00
चण्डीगढ	1188320.00	967931.00	1216498.00	9.80572.00
रोहतक	2585494.11	2362.075.83	3365601.56	2444337.67
करनाल	1903252.69	1461396.57	2526774.57	1270134.38
हिसार	2792554.00	1854250.00	3236555.00	1655084.00

रिवाड़ी	462399.00	138293.00	1666032.00	10.105969.00
जींद	850799.52	83957.00	1643451.00	676114.00
भिवानी			781663.00	325228.00
कैथल				
	1974–75		1975–76	
	स्पेयर पार्टस	टायर तथा टयूबज	स्पेयर पार्टस	टायर तथा टयूबज
अम्बाला	4146467.00	2001076.00	4573609.00	1997091.00
गुडगांवा	3838872.00	2541963.00	4588576.00	3131348.00
चण्डीगढ	2380407.00	1835527.00	2085420.00	2123814.00

रोहतक	4275738.32	3766337.00	5233300.66	2853097.61
करनाल	3809226.43	2014955.19	3341920.41	1264788.83
हिसार	3556385.00	2928998.00	3869567.00	2732547.00
रिवाडी	1865131.00	2040905.00	2255459.00	2263660.00
जींद	2081694.00	1309827.00	2070623.94	1385951.08
भिवानी	2666046.00	1383420.00	2207132.00	1626219.00
कैथल	2493099.45	798934.15	2693403.87	1414.885.37

(ख) 31.03.1972 को हरियाणा रोडवेज के प्रत्येक डिपों के स्टाक में पड़ै स्पेयर पार्टस, टायरज तथा टयूबज की कुल कीमत

	स्पेयर पार्टस	टायरज एवं टयूबज

अम्बाला	1711414.00	87814.00
गुडगांवा	2124462.00	1495566.00
चण्डीगढ	1077578.00	171087.00
रोहतक	1965064.00	37349.00
करनाल	1601847.23	44017.38
हिसार	1672365.00	2467.00
रिवाडी	इस डिपों की स्थापना 1.12.1972 में हुई	
जींद	इस डिपों की स्थापना 1.1.1973 में हुई	
भिवानी	इस डिपों की स्थापना 1.11.1973 से हुई	
कैथल	इस डिपों की स्थापना 20.08.1974 से हुई	

(ग) उपरोक्त भाग (क) में वर्णित समय के मध्य मे ंप्रत्येक डिपु में प्रयोग में लाए गए स्पेयर पार्टस, टायरज तथा टयूबज की कीमत तथा तक स्टोर/स्टाक में पड़े स्पेयर पार्टस, टायरज तथा टायूबज की कुल कीमत

(1) भाग (क) में वर्णित समय के मध्य प्रयोग में लाए गए स्पेयर पार्टस, टायरज तथा टयूबज की कीमत

	1972–73		1973–74	
	स्पेयर	टायर और	स्पेयर	टायर और

	पार्टस	टयूबज	पार्टस	टयूबज
अम्बाला	2293357.00	1538398.00	3202306.00	1300181.00
गुडगांव	2415659.00	1558518.00	2373322.00	1546315.00
चण्डीगढ	1067648.00	790687.00	1218923.00	870647.00
रोहतक	2640707.68	2201811.49	3256162.11	2548834.21
करनाल	213706460	1251142.19	2098043.93	1362521.10
हिसार	1672365.00	21467.00	1933515.00	218894.00
रिवाड़ी	382561.00	183030.00	1075695.00	861599.00
जींद	268602.52	59838.00	1313855.00	629756.00
भिवानी			668223.00	329891.00

कैथल				

	1972–73		1973–74	
	स्पेयर पार्टस	टायर और टयूबज	स्पेयर पार्टस	टायर और टयूबज
अम्बाला	3673432.00	1841223.00	4173442.00	2151569.00
गुडगांव	2578556.00	2250583.00	4102974.00	2876841.00
चण्डीगढ	1200197.00	1725602.00	2386106.00	2230546.00
रोहतक	3813655.33	3578232.00	5310842.89	3020648.55
करनाल	3533295.03	1802149.10	3644236.10	1477815.29

हिसार	1911582.00	114222.00	2845150.00	771528.00
रिवाड़ी	1277734.00	1516349.00	1825320.00	2188126.00
जींद	2028725.00	1215297.00	2192151.32	1453989.03
भिवानी	2023864.00	1250764.00	2542147.00	1830043.00
कैथल	1086898.76	626069.88	2279573.73	1380599.78

31.05.1976 को प्रत्येक डिपू के स्टोर/ स्टाक मे ंपडे स्पयेर पार्टस, टायरज तथा टयूबज की कुल कीमत

	स्पेयर पार्टस	टायर और टयूबज
अम्बाला	2314816.00	124480.00
गुडगांव	766080.00	151066.00
चण्डीगढ	2302563.00	198996.00
रोहतक	2263748.12	117963.00
करनाल	1757154.31	3.081946.06
हिसार	578296.00	387544.00

रिवाड़ी	933179.00	94239.00
जींद	777438.91	72881.13
भिवानी	1151702.00	151121.00
कैथल	911735.40	101051.87
स्पेयर पार्टस की कुल कीमत		13756712.74
कुल जोड		1672288.38

चौधरी ि ाव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इतना लम्बा चौडा कथन रख दिया है जिसको भाायद मै पढ़ने लगूं तो कम से कम एक घण्टे का समय लग जाए।

Mr. Speaker: This is not the fault of the Minister.

चौधरी ि ाव राम वर्मा: खैर मै फिर भी इस पर एक अनुपूरकर प्र न पूछना चाहूंगा कि जो करोड़ों रूपए के पुर्जे 1972–73 से लेकर 1975–76 तक खरीदे गए है उनको खदीदने के क्या तरीके है? इस तरह तो उस खरीद में काफी गोलमाल हो जाएगा। क्या मिनिस्टर साहिबा बताएंगी कि टायरज और ट्यूबज की खरीद के लिए कोई खरीद लेती है?

श्री प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, इस बारे में भारत सरकार की एक कमेटी बनी हुई है उसके अनुसार चीजों के कुछ रेट्स भी ि फक्स किये हुए है और सिलेक्ट की हुई फर्मों से हरियाणा रोडवेज पुर्जे मंगवाती है।

चौधरी ि ाव राम वर्मा: स्पीकर साहब, हरियाणा रोडवेज जो खरीद करती है उसकी चैकिंग कभी मिनिस्अर साहब ने भी की है कि नही कि यह खरीद का तरीका उचित है कि नही।

परिवहन मंत्री (श्री के. एल. पोसवाल): जी हां।

चौधरी अब्दुर रजाक खां: स्पीकर साहब, क्या मिनिस्अ साहब बताएंगे कि जिन फमों से माल खरीदा जाता है वे फर्में कही

नकली तो नही है। कहीं वे हमें डुप्लीकेट माल तो सप्लाई नही करती? क्या सरकार कभी इस बात की चैकिग करती है?

श्री के. एल. पोसवालः स्पीकर साहब, कोई भी ऐसा डिपों नही है जो कि इस साल हमने चैक न किया हो।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): स्पीकर साहब, मै वजीर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि हरियाणा रोडवेज जो टायर खरीदती है उस एक टायर की कितनी कीमत है और वे टायर किन–किन फर्मों से खरीदे जाते है?

श्री के. एल. पोसवालः स्पीकर साहब, डायरैक्अर जनरल आफ सप्लाइज एण्ड डिसपोजल हमें फर्मो के नाम बता देता हूं जिन से हम खरीद करते है वे फर्मे हैः– मैसर्ज सीएट टायर्ज प्रिमीयर्ज, गुडईयर, फायर स्टोन, इंडियन टायर, डनलप, इन्चेक, मद्रास रबर फैक्टरी इत्यादि। कीमते तो वेरी करती रहती है।

श्री के. एन. गुलाटीः स्पीकर साहब, जब रास्ते में बसें खराब हो जाती है तो उससे सवारियों को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है क्या सरकार बसों के साथ कोई स्पेयर पार्टस वगैरह सप्लाई करने की कृपा करेगी या कोई थोड़ा पैसा हर बस के लिये रखेगी ताकि मौके पर ही बस ठीक कर ली जाए और सवारियों को परे ाानी न उठानी पड़े, क्या ऐसी कोई योजना सरकार के विचारधीन है?

श्री के. एल. पोसवालः स्पीकर साहब, इस बारें में हमने जनरल मैनजर्ज को इखतियारात दे रखे हैं हमने बड़े पैमाने पर स्टेट लेवल पर सैल बनाये हुए है जो पार्टस वाई करके देते है।

राव बंसी सिंहः स्पीकर साहब, क्या मिनिस्अर साहब बतायेगे कि जो पुराने टायर टयूबज है उनकों डिसपोज करने का क्या तरीका है?

श्री के. एल. पोसवालः उनको हम नीलाम कर देते है।

श्री गुलाब सिंह जेनः स्पीकर साहब, क्या मिनिस्अर साहब यह बतलाने की कृपा करेगे कि हरियाणा रोडवेज वाले जो टायरज वग?रह की खरीद करते है या यह खरीद मैनुफकचरर्ज से की जाती है या कि इण्टरमीडिएटर्ज से की जाती है?

श्री के. एल. पोसवालः स्पीकर साहब, हर कम्पनी के अपने डिपोज होते है।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, मिनिस्अर साहब ने अपने उत्तर मेंयह बताया है कि 31.03.1976 तक 6126 टेस्ट रिपोर्टस पैडिग थी। तो मै मिनिस्टर साहब से यह पूछ सकता हूं कि यह जो बकाया टेस्ट रिपोर्टस है ये कितनी कितनी पुरानी पड़ी हुई हैं 6 महीने की कितनी, साल की कितनी और डेढ साल की कितनी कितनी पुरानी है?

Test Reports for Electricity Connections for Agricultural Tub wells

***1619 Ch. Dal Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of test reparts for electricity connections for agricultural tube wells pending with the Haryana sate Electricity Board as on 31st March, 1976;

(b) the total number of electricity connections given to Agricultural tue wells as referred to in part (a) above are likely to be given to the farmers?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh)

(a) 6126

(b) 10063

(c) By the end of current finacial year 1976-77

सरदार हरमोहिन्द सिंह चट्ठाः इसमें एक महीन की पुरानी 825 है, तीन महीने की पुरानी 1216 है तीन से छः महीने से उपर की 3018 है।

राव बंसी सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो टैस्ट रिपोर्टस तीन हजार के करीब छः महीने से ज्यादा पुरानी है, वे कौन से जिले की सबसे ज्यादा है?

सरदार हरमोहिन्द सिंह चट्ठाः जो मेरे पास पैडिग टैस्ट रिपोर्टर्स की फिग्गर्ज है वे सबसे ज्याद पैडिग इस प्रकार

है—पहेवा मे 222, करनाल में 354, कुरूक्षेत्र में 474 और रिवाड़ी में 1657

चौधरी फूल चन्द (मुलाना): क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इन पैडिग टैस्ट रिपोर्टस में एम. आई टी. सी और एस. एफ. डी. ए. के टयूबवैल्ज कितने है औ क्या उनको जल्दी कनैक्शन देने की कोि ा ा की जाएगी?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः हमने एम आई टी.सी. के टयूबवैल्ज को हमे ाा प्रायरिटी दी है। इस वक्त हमारे पास 6 हजार कनैकशज पैडिग है और हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह आदेश दिया है कि इस साल 12 हजार टयूबवैल्ज को कनैक ान देना है और यह फैसला हो चुका हैं इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास छः हजार टैस्ट रिपोर्टस पैडिग है और हम इनकों कनैक ान देने के बाद छः हजार को और फालतू कनैक ान दे देगे?

चौधरी रिजक रामः जैसे मंत्री जी ने अभी बताया है कि 6 महीने से ज्यादा और तीन महीने से ज्यादा इतनी इतनी टैस्ट रिपोर्टस पैडिग पड़ी है तो क्या वे इक्विपमैट की वजह से पड़ी है या पैसे की वजह से पडिग पड़ी है या कोई और कारण है?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): अध्यक्ष महोदय, दोनों ही बातें है। सामान की भी डिफिकल्टी है और पैसे की भी डिफिकल्टी है और इन दोनों ही कठिनाईयों को दूर करने की हम पूरी कोि ा ा कर रहे है।

श्री ओम प्रका ा गर्ग: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि कल्लर भूमि में जो टयूबवैल्ज लगे हुए है कया उनकों कनैक ानज देने में कोई प्रायरिटी दी जाती है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: जो लैड रिकलेम होनी है और उस पर कर्जा लेकर टयूबवैल लगाया गया है वहां पर तो हम प्रायरिटी देते है और जो नही है और कोई वेसे ही क दे कि यह लैड रिकलेम होनी है तो वहां प्रायरिटी नही दी जाती।

चौधरी ि ाव राम वर्मा: पिछली बार भी यह बात आई थी कि टैस्ट रिपोर्टस देने के बाद भी कनैक ान देने को काफी अर्सा लग जाता है और मुख्य मंत्री जी ने यह आ वासन दिया था कि हम इस बात को विचारेगे तो क्या इा बात पर कोई विचार किया गया है या नही कि जो कनैक ान के लिये एप्लाई करें उसको टैस्ट रिपोर्ट देने से पहले ही यह बता दिया जाए कि आपका नम्बर आने वाला है आप सारा काम मुकम्मल करके रखे?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: यह हमारे लिये पासिबल नही है कि जिस वक्त कोई एप्लीके ान दे उसी वक्त उसे कोई डैड लाइन दे दी जाए। हम यह कोि ा ा करते है कि पिछले साता वर्शा में इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कनैक ान देने का जो भी टारगेट रखा उससे सवाए या डेढ़ गुना कनैक ान दिये गये।

श्री अमर सिंहः क्या मंत्री महोदय के नोटिस मे ंऐसे भी केसिज है कि किसी ने लोन लेकर टयूबवैल्ज लगा रखे है और कनैक ान न मिला हो?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः यह बात दुरूस्त है जो रिपोर्टर्स पैडिग पड़ी है उनमें लोन केसिज भी है, उनकों जल्द कनैक ान देने की जरूरत है।

चौधरी रिजक रामः क्या सरकार के नोटिस में यह है कि टैस्ट रिपोर्ट के लिये अप्लाई करने के बाद कनै ान मिलने को डेढ–डेढ साल लग जाता है। तो जिन लोगों ने कर्जा लेकर मोटरे लगा रखी है उनको कनैक ान न मिलने की वजह से सूद भी बेकार में देना पड़ता है तो क्या इस इन्ट्रैस्ट में कोई रियायत दी जाएगी?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः इनकों प्रायरिटी हम दे नही सकते और जहां तक डेढ डेढ साल की बात है वह मैने अभी अर्ज किया हमारे पास 6 हजार रिपोर्टस पैडिग है और हमने 12 हजार इस साल में कनैक ान देने है।

चौधरी रिजक रामः मैने तो यह पूछा था कि क्या उनको इन्ट्रैस्ट में कोई रियायत मिलेगी?

श्री बनारसी दास गुप्तः अध्यक्ष महोदय, इन्ट्रैस्ट में तो हम कोई रियायत दे नही सकते। क्योंकि जो लोन दिया जाता है वह सारा पैसा रिजर्व बैक आफ इंडिया से आता है कोि ा ा

हमारी यह है कि किसी प्रकार का भी टयूबवैल हो लोन लेकर लगाया जाए या अपने पैसे से लगाया जाए उसको जल्द एनराजइ किया जाए।

चौधरी मेहर चन्दः क्या मंत्री महोदय बताएगे कि जो रिपोर्टस एक साल से ज्यादा अर्से से पैडिग है उनका नम्बर कितना है और उनको क्लीयर करने के लिये क्या सटैप्स उठाए जा रहे है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः मैने अभी बताया है कि जितनी रिपोर्टर्स पैडिग है, उनको 6 महीने में खत्म कर देंगे।

श्री अध्यक्षः अभी कहा तो है कि सबको दे देंगे।

चौधरी मनफूल सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जहां 15 सौ से ज्यादा रिपोर्टस पैडिग है, वहां सामान जल्दी भेजा जाएगा?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चटठाः इसमें एक दिक्कत आती है कि कुछ एरिये ऐसे है जहां लाइनें इतनी बिछ चुकी है कि वहां खम्बे भी लग जाते है और लोग टयूबवैल के लिये बोर भी कर लेते है और वह अपना प्रायरिटी का केस बना लेते है और कुछ ऐरिये ऐसे है जहां लाइने दो–दो मील से लेनी पड़ती है।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया कि गवर्नमैट इन्ट्रैस्ट में रियायत नही दे सकती। क्या

उनके नोटिस में यह बात है कि जिन्होने इस तरह के लोन लिये हुए है बैक्स से या ने ानेलाइज्ड बैक्स से उनकी कि ते कनैक ान देने से पहले ही डियू हो जाती है जिसकों देने में उनकों दिक्कत होती है? तो क्या कोई ऐसा प्रोसीजर अडाप्ट किया जाएगा कि पैदावार भाुरू होने कुछ अर्से बाद रिकवरी भाुरू की जाए?

श्री बनारसी दास गुप्तः अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के केसिज अगर नोटिस में लाए जाएंगे तो हम कुछ लिनिएंसी बरतेगे।

चौधरी अमीर चन्द कक्कडः क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि अगर कोई 2500 रूपये पहले अदा कर दे जैसे कि पहले स्कीम थी तो क्या उसे कनै ान देने में प्रायरिटी दी जाएगी?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः वह तो दे ही रहे है।

Cooperative Labour and Construction Societies in the State

***1672 Rao Dalip Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of cooperative Labour and Construction societies in the state;

(b) the total amount of loan advanced to the above said cooperative Labou and Construction Societies by the Cooperative Labour and Construction Societies by the

Cooperative Banks in the Sate dring the financial year 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1975-76;

(c) the total amount of the above said loan as is ourstanding against the cooperative labour and construction societies to date; and

(e) the total number of cooperative Labour and construction societies which have received Medium Term loan from the cooperative banks in the state during the financial years 1973-74, 1974-75, and 1975-76?

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of this question which has been granted. The communication received from the Chief Minister is as follows:-

"BANARSI DASS GUPTA CII-76/3456

Chief Minister, Haryana

Chandigarh

Chandigarh, dated the 6th July, 1976

Subject: Starred assembly question No. 1672 asked by Rao Dalip Singh M.L.A regarding cooperative labour and construction Societies in the Sate.

My dear Ch. Sahib,

I write to inform you that starred assembly question No. 1672 asked by Rao Dalip Singh, M.L.A, was received in the Secretariat (in cooperation Department) on the 24th June[1976. This question has been fixed for answering on 9th July,

1976. As some informmation pertaining to this qeustion is yet to be collected, I shall therefore, feel gratefull if this qeustion is fixed for answer on any date after the 24th July, 1976.

with regards,

Yours Sincerely,

Sd/-

(BANSARSI DASS GUPTA)

Ch. Sarup Singh

Speaker

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

Constructon of a shed at Ganaur

*1677 Sh. Partab Singh Tiagi: Will the Minister for Transport be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a shed for passengers at Ganaur District Sonepat at G.T. Road and also to appoint a booking clerk there; and

(b) if so, the time by which the afore said proposal is likely to be materialised?

ि ाक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क) हां

(ख) महा प्रबन्धक को गनौर में यात्रियों की सुविधा के लिए भौड का निर्माण करने हेतु उचित अनुदे ा जारी कर दिए गए हैं ज्यों ही उक्त कार्य के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध हो जायेगी, भौड का निर्माण करवा दिया जायेगा और इसके बन जाने के बाद वहो पर बुकिंग क्लर्क भी नियुक्त कर दिया जायेगा।

श्री प्रताप सिंह त्यागीः स्पीकर साहब, कर्नल महा सिंह जी ने यह अनाउंस किया था कि 5–7 रोज में वहां बुगि क्लर्क आ जाएगा और भौड बाद में बनता रहेगा। वहां पर प्राइवेट बसिज वाले तो सवारियों को ले जाते है लेकिन हमारी बसे वहां ठहरती नही क्योकि वहां अीी तक कोई भौड भी नही बना है और न ही कोई बुकिग क्लर्क लगाया गया है तो क्या मंत्री महोदय 5–10 दिन के अन्दर अन्दर किसी आदमी की नियुक्ति वहां कर देगे, भौड बाद मे बन जाएगा?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः वहां पर एक आदमी लगा हुआ है और जैसे ही हम जमीन एक्वायर कर लेगे वहा पर भौड भी बनवा देगे।

श्री प्रताप सिंह त्यागीः स्पीकर साहब, अभी तक वहां पर कोई आदमी नही लगाया हुआ है तो क्या मंत्री महोदय इस चीज को मालूम करके वहां पर आदमी लगाने की कृपा करेगे?

(कोई उत्तर नही दिया गया)

* **1682 Ch. Shiv Ram Verma:** Will the Chief Minister be pleased to state the percentage of the land under Westerm Yamuna Canal System to which water was being supplied actually during the finacial years 1967-68 and 1974-75 respectively?

State Minister for Irrigation & Power (Sardar Harmohinder singh Chatha):

The percentatge of the land under western Yamuna Canal system to which water was being supplied actually is as under:-

चौधरी ि ाव राम वर्माः यह जो 50 प्रति ात 1967—68में बताया है और 63 प्रति ात बताया है 1974—75 में, क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि मौके पर इसी रे ाों से सिंचाई हो रही है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः सर, जो हो रही वही बता रहा हूं।

Mr. Speaker: Question Hour is over.

Remission given to the Life Prisoners

524 Ch. Ram Lal Wadhwa: will the Minister for Transpor be pleased to state the total period of remission, if any, given to the life prisoner isn each Jail of the state by the Inspecto general if prisons Haryana during the years from 1970 to 1976 (to date) together with the names of such prisoners, separately?

परिवर मंत्री (श्री के. एल. पोसवाल):

इस सम्बन्ध में जो सूचना मांगी गई उसे एकत्रित करने पर जो समय तथा परिश्रम लगेगा उससे वि ोश लाभ नही होगा।

Remission given to life Prisoner

Remission given to the Life Prisoners

525 Ch. Ram Lal Wadhwa: will the Minister for Transpor be pleased to state the total period of remission, if any, given to the life prisoner isn each Jail of the state by the Inspecto general if prisons Haryana during the years from 1970 to 1976 (to date) together with the names of such prisoners, separately?

परिवर मंत्री (श्री के. एल. पोसवाल):

इस सम्बन्ध में जो सूचना मांगी गई उसे एकत्रित करने पर जो समय तथा परिश्रम लगेगा उससे वि ोश लाभ नही होगा।

Loan given under the middle Income Group and Low Income Group Housing Schemes

513. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Finance be pleased to state-

(a) the district wise total amount of loan given under the middle income group and low income group housing schemes separtely, during the finacial years from 1968-69 to 1975-76 together with the district wise total number of

persons to whom the above said loans have been given, separately; and

(b) the district wise total number of persons who have not paid loan instalment against loans granted as referred to in part (a) above together with the amount involved in each case during the period referred to above, separately?

Finance Minister (Sh. Ram Saran Chand Mittal):

A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

		Distric wise total amount of loand given during 1968-69 to 1975-76		Total No. of persons who were given loan during 1968-69 to 1975-76		Total No. of persons who have not paid loan instalments during 1968-69 to 1975-76		Amount invloved in cased as referred in part (b)	
		Ligh	Migh	Llah	Migh	Ligh	Migh	Ligh	Migh
1	Ambala	2370000	554000	442	50	111	14	124254-86	18686-08
2	Karnal	1062000	339000	397	40	189	17	192454-37	11474-28
3	Kurukshetra	1232000	259000	460	39	367	30	298905-30	70440.31
4	Sonepat	538700	107000	68	8	33		331325.94	

5	Rohat	1867800	404000	439	31	191	5	100965.20	9948.86
6	Narnaul	1160000	400000	235	27	30	9	94636-31	13603.75
7	Jind	1282500	400000	347	32				
8	Bhiwani	2254600	394000	499	32	328	12	297627.00	19935.00
9	Hissar	2764200	1032000	530	67	221	12	300680	28089.00
10	Gurgaon	2440000	600000	530	43	373	6	224448.89	17051.92
11	Sirsa	578000	174000	109	11	60	4	73660.09	12103.80
12	Faridabad	3100.500	3280000	373	184	23	10	18943.00	26886.00
13	Panchkula	101500	165000	7	6				

Haryna Lottery

514 Ch. Ram Lal Wadhaw: Will the Minister for Finance be pleased to state the year wise totoal unclaimed amount of various draws of Haryana Lottery lying with the Government sicne 1968-69 to 1975-76, separately?

Finace Minister (Sh. Ram Saran Chand Mittal)

The Yeearwishe unclamined amount of prizes is as under:-

Year	Amount (Rupees in Lakhs)
1968-69	0.38
1969-70	4.27
1970-71	13.77
1971-72	5.45
1972-73	9.03
197374	6.45
1974-75	4.20
1975-76	4.92

Note: :The amount for the year 1975-76 is provisional as the prizes of 77th Draw held on 30th March, 1976 are still under process of payment

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Transport Minister (Sh. K.L. Poswal): Sir, I beg to move-

That the processdings on the items of business fixed for to day be exempted at this days sitting from the provisions of the rule sittings of the Assembly indefinitely.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the processdings on the items of business fixed for to day be exempted at this days sitting from the provisions of the rule sittings of the Assembly indefinitely.

Mr. Speaker: Question is-

That the processdings on the items of business fixed for to day be exempted at this days sitting from the provisions of the rule sittings of the Assembly indefinitely.

The motion was carried

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Transport Minister (Sh. K.L. Poswal) Sir, I beg to move-

That the assembly at its rising this day shall stand adjourned since die.

Mr. Speaker: Motion moved

That the assembly at its rising this day shall stand adjourned since die.

Mr. Speaker: Question is-

That the assembly at its rising this day shall stand adjourned since die.

The motion was carried

मेज पर रख गए कागज–पत्र

Finance Minsiter (Sh. Ram Saran Chand Mittal) Sir, I beg to lay on the Table-

The appropriation account of the Government of Haryana for the year 1974-75

The report of the comptroller & Auditor General of India of the Government of Haryana for the year 1974-75

The Finance account of the Government of Haryana for the year 1974-75

The annual Financial statement (Budget Estimeates) of the Haryana State Electricity Board for the year 1976-77, as requred under section 61 of the Electricity (supply) Act, 1948.

The Development and Panchyat Department Notification No. : G.S.R. 147/P.A. 3/61/S 115 Amd(1) 76 dated the 11the June, 1976, regarding the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parisahds Non Official Memebters (Payment of Allowances) Haryaan First Amendment) Rules, 1976 as

required under section 115 (4) of the punjab Panchayat samitis act. 1961.

The Development and Panchyat Department Notification No. : G.S.R. 24/H.A/30/70/S. 22/Amd. (1) 76 dated the 27th February, 1976, regarding the Haryana Cattle Fairs (First Amendemnt) Rules 1976, as required under section 22(3) of the Haryana Cattle Fairs Act, 1970.

The Revenue Department Notification No. G.S.Rs. 10/HA. 26/72/S 31//Amd (2)c76 dated the 23rd Januar, 1976, regarding the Haryana Ceillling on Land Holding (First Amendment) :Rules, 1976, as required under section 31(2) of the Haryana Ceiling on Land Holding Act, 1972

The town and country Planing Department Notification No. G.S.R. 107/HA. 8/75/S. 24/76, dated the 7th March, 1976, regarding the Haryana Development and regulation of urban areas rules, 1976, as required under section 24(3) of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

वि ोशाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन पे ा करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन देने का समय बढ़ाना

Chairman, Committee of Privileges (Sh. Gulab Singh Jain): Sir, I beg to present the fourth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege against the Editor, Printer and Publisher of the Daily New-paper " The Motherland" for publishing news-item in its issue dated the

12th July, 1974. under the caption "Bansi Lal's throne rocked by three incidents."

Sir, I also beg to move-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 31st March, 1977.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 31st March, 1977.

Mr. Speaker: Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 31st March, 1977.

The Motion was carried.

Chairman, Committee of Privileges (Sh. Gulab Singh Jain): Sir, I beg to present the fourth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege against Chaudhri Chand Ram, M.L.A. for mkaking a statement and Sh. Ramesh Chander, Printer, Editor and Publisher of teh Daily Newspaper, "Punjab Kesar" for publishing it as also the distorted version of the proceedings of the House in its issue dated 1st December, 1974, under the caption "विपक्ष हरियाणा विधान सभा के भोश अधिवे ान का बाईकाट करेगा।"

Sir, I also beg to move-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 31st March, 1977.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 31st March, 1977.

चौधरी रिजक राम (राई): स्पीकर साहब, यह जो मो ान अभी हाउस के सामने पढी हैं, सदने के सभी सदस्यों को पता हैं कि चौधरी चांद राम एक साल से जेल मे डिटेन किए हुए है तो इस इंकवायरी का प्रिविलेज के तौर पर इतना बढा लेना और इसे इतना लम्बा करना उचित मालूम नही होता। इस तरह से इस मो ान को सिर पर लटकाए रखने से कोई फायदा नही हो सकता इसलिए मै चेयरमैन साहब, आपकी मार्फत यह अपील करूंगा कि इस मो ान को अगर वह मैम्बर साहब वापिस ले लें तो अच्छा होगा क्योंकि जो आदमी एक साल से जेल मे बन्द हैं उसके बारे मे बार–बार एक्अें ान मांगनी ठीक नही लगती।

Mr. Speaker: Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 31st March, 1977.

The Motion was carried.

Chairman, Committee of Privileges (Sh. Gulab Singh Jain): Sir, I beg to present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege against Sh. Lalit

Mohan, Editor and Sh. Virender, M.A. publisher and Printer of the Daily Newspaper "Vir Partap" Jullunur, for writing derogatory remarks agianst the house and its Members in its issue dated the 10th January, 1975, under the caption. "चौधरी हरद्वारी लाल का क्या कसूर है।"

Sir, I also beg to move-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 31st March, 1977.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 31st March, 1977.

Mr. Speaker: Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 31st March, 1977.

The Motion was carried.

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन पे ा करना

Chairman, Committee on Public Accoutns (Ch. Ishwar Singh): Sir, I beg to present the Tenth Report of the Public Account Commit6tee for the years 1976-77

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं० 3) बिल, 1976

Finance Minister(Sh. Ram Saran Chand Mittal): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No.3) Bill, 1976.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी रिजक राम (राई): स्पीकर साहब, यह जो ऐंप्रोप्रिए ान बिल हाउस के सामने वित्त मंत्री जी ने अभी पे ा किया है इसकी कुछ डिमांडज के बारे मे मै अपने कुछ विचाार रखूंगा। पहली डिमांउ इस सदन के माननीय सदस्यों के बारे में हैं। इसके द्वारा उनके टी.ए. बिल्ज के लिए जो कंटिनजैंसी फंड से पैसा खर्च किया गया है 250000 रूपये के करीब, उसकी मांग की गई है। वैसे रकम भी कोई ज्यादा नही और इसके मंजूर करने मे कोई आप्पति नही लेकिन एक मै आपके द्वारा अर्ज करना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन हुए वित मंत्री जी ने एक सवाल के जवाब मे फरमाया था कि सरकार ने अपने अखराजात मे कमी करने के लिए, इकौनोमी करने के लिए, बहुत से कदम उठाए है और उस पर इस सदन के माननीय मैम्बर साहेबान ने काफी चेश्टा करके सप्लीमेंटी सवाल भी पूछे थें और यह इच्छा प्रकट की थी कि हरेक खर्च मे जो भी आज सरकार कर रही हे। उसमे ज्यादा से ज्यादा कमी की जाए।

Sh. Ram Saran Chand Mittal: Sir, I may point out that as per the standing convention, the Vidhan Sabha

demand is not debatable. Although I do not mined the discussion and I am prepared to answer but it will be a departure from teh existing convention.

Mr. Speaker: It is a voted item.

Sh. Ram Saran Chand Mittal: No doubt it is a voted item, but the convention is that the Vidhan Sabha Demand is not debated upon.

Mr. Speaker: This item relates to the hon. Member of this house और प्रैसीडेन्ट यही हैं, पहले कन्वैन ान भी है कि विधान सभा के मुताल्लिक डिस्क ान न हो या कम से कम हों। अच्छा हो यदि मैम्बर साहब इस डिस्क ान को अवायड करें लेकिन अगर करना ही चाहते हो तो कोई ऐसी बात न कहें जिस पर किसी को एतराज हों।

चौधरी रिजक राम (राई): जो वित मंत्री जी ने फरमाया मै इससे बिल्कूल एक लफ्ज इधर उधर नही जाऊंगा या रिवायत के खिलाफ नही कहूंगा। मै तो सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि इस खर्चे मे जितनी भी ज्यादा से ज्यादा हम बचत करे सकें वह करनी चाहिए। मै यह समझता हूं कि टी.ए. के जरिए या जो खर्च इन मीटिंग्ज मे होता है वह बिल्कूल वही होता है जो अति आव यक है कोई फिजूरखर्ची इसमे नही। मैम्बर साहेबान अपने दायित्व को, जिम्मेदारी को समझते है लेकिन इस बात को समझते हुए, मानते हुए भी, चूंकि आज हमारें साने बड़े प्रोग्राम है, जवाहर लाल नेहरू कैनालव ओर लिंक कैनाल आदि को सवाल है, जब

एक एक मद मे हम बचत कर रहे है तो हम एक मिसाल रखें एक ऐग्जाम्पल सैट करे कि जो भी ज्यादा से ज्यादा बचत हम कर सकें वह हम करें कुछ मैम्बर साहेबान यहां है नही इसलिए ज्यादा में नही कहना चाहता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एक छोटी सी कमेटी जैसे लाईब्रेरी कमेटी है, जो यहां चंडीगढ़ मे बैठ कर काम कर सकती है उसे कलकता बम्बई या दूसरी जगहां के दौरे करने की क्या जरूरज हैं? कैटेलौगज जेा दूसरे राज्यों के लाईब्रेरीज के है वे यहा बैठे हुए मिल सकते है, अखबारों में भी वे आत है। मै कोई आक्षेप नही करता लेकिन स्पीकर साहब, आपके द्वारा मै अर्ज करना चाहता हूं कि जो भी कमेटी के दौरे होते है आम तौर पर बाहर जाने के वे आपकी इजाजता से होते है। जो भी बचत इसमें हो जाए वह अच्छी बात है ताकि किसी क्वार्टर से यह चर्चा न हो सके कि इस सदन के मैम्बर अपने दायित्व को निभाने मे कमी रखते है। मै इससे ज्यादा इस बात पर कहना नही चाहतो क्योंकि अगर फिजूलखर्ची होती है तो उसमे मै भी भाामिल हूं। कोई ऐसा नही कि मै अब ऐवरीथिंग हूं। सभी मैम्बर साहेबान मेरे से ज्यादा अपने फर्ज का समझते है और इस कोि ा ा मे हे कि कम से कम खर्च हो लेकिन फिर भी यह प्रार्थना करूंगा कि जहां तक खर्च मे कमी हो सके करनी चाहिए। इसमे वित मंत्री जी और आप भी काफी सावधाी बरत सकते है।

दूसरी बात जो मै अर्ज करना चाहता हूं वह स्पीकर साहब, डिमांड नम्बर 2 के बारे मे है। यह डिमांउ नम्बर 2

'इन्फर्मे ान एंड पब्लिसिटी' के बारे मे है। स्पीकर साहब, हमारे प्रान्त मे पब्लिक रिले ांज डिपार्टमैंट काफी विस्तार रखता है, काफी उसकी ऐस्टैब्लि ामैंट हैं। हर डिस्ट्रिक्ट मे डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिले ांज औफिसर हैं, उनके असिसटैंट हैं। उनके पब्लिकसिटी वर्कर्ज है जो प्रचार करते है लेकिन एक बात मै अर्ज करना चाहता हूं। जहा तक डिस्ट्रिक्ट मे पब्लिक रिले ांज औफिसर्ज का और उनके नीचे के स्टाफ का ताल्लूक है सिवाय मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी के दौरे मे प्रोग्राम की पब्लिसिटी करने से ज्यादा कोई काम उनका होता नही। मै आपको कांफिडैन्टली यह कह सकता हूं कि कितनें ही डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिले ांज औफिसर्ज ऐसे है जिन्हे यह पता नही कि इस विधान सभा ने गरीबों की सहायता के लिए क्या क्या कानून पास किए है। कितने ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिले ांज औफिसर्ज है या स्टाफ के मैम्बर्ज है जिनको यह मालूम नही कि ऐग्रीकल्चर युनिवर्सिटी हिसार ने या दूसरी यूनिवर्सिटी ने क्या क्या बीज इंनवैन्ट किए है और किसान को किस कीमत पर मिल सकते है। मुख्यमंत्री जी, मैने खुद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिले ांज औफिसर्ज से इसके बारे मे बात चीज की। बिजाई का समय था। मैने उससे कहा कि क्या आप बता सकते है कि चने के लिए, गेहूं के लिए कौन–कौन से बीज मुहैया हो सकते है जो किसान का माफिक है, लेकिन उनका पता नही। फिर मैने पूछा कि जो–जो बिल पिछले सै ान मे विधान सभा ने पास किए क्यसा उनके बारे मे आपको मालूम है कि वे किस महेकमें से और और किन लोगो से ताल्लूक रखते थे

उनका यह भी मालूम नही। तो मै आपके द्वारा स्पीकर साहब, यह अर्ज करना चाहता हूं कि पब्लिक रिले ांज डिपार्टमैंट को, जो सरकार के कामकाज है, जो उनके प्रोग्राम है, उनसे फुली इक्वीप करना चाहिए। यही नही की ये सिर्फ पब्लिसिटी करते रहें। पब्लिसीटी तो दूसरे तरीकों से भी हो सकती हैं पब्लिसीटी तो डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रे ान, पटवारियों की मारफत या दूसरे कर्मचारियों की मारफत भी करवा लेता है। यह कोई इतना जरूरी काम नही। देखना यह है कि इस वक्त जो ज्यादा जरूरी काम है, चाहे वह फेमिली प्लानिंग प्रोग्राम का है या चाहे देसरे प्रोग्राम्ज का है, उसमे आपका पब्लिक रिले ांज डिपार्टमैंट पार्ट प्ले करता है। मै बिल्कूल दावे के साथ यह कह सकता हूं कि इस प्रोग्राम मे आपका महकम वह काम नही कर रहा जो करना चाहिए। एक बात और भी मै अर्ज करना चाहता हूं। जहां तक जबानी प्रचार का ताल्लूक है क्या इन्फर्मे ान उसके पास होती हें इसके बारे मे मैने अर्ज किया है। अब आप देखें कि दो तीन पत्रिकाए पब्लिक रिले ांज डिपार्टमैंट भााया करता हे। एक है हरियाणा रिव्यूं और दूसरा हैं हरियाणा संवाद और भी कई इस तरह कि पब्लिके ांज इनकी समय समय पर निकलती रहती है। मै हरियाणा रिव्यू को भी और हरियाणा संवाद को भी गौर से पढता हूं। हरियाणा संवाद मे, स्पीकर साहब, पढने की तो कोई बात नही। उसमे भाुरू से आखिर तक देखें तो हर मिनिस्टर की 15–15 फोटो नजर आती हैं।

Mr. Speaker: Order Please. डिमान्ड दो मे इसके लिए कहां खर्चा मांगा गया है?

चौधरी रिजक राम : इसमे दिया है। 'डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रे ान तथा इनफर्मे ान एण्ड पबिलसिटी।'

श्री अध्यक्षः : जिन आइटम्ज के लिए सप्लीमैंटरी ग्रान्टस मांगी गई है वे पेज 3 पर दी गई है। चार आइटम्ज के लिए सप्लीमैंटरी ग्रान्टस मांगी गई है। इसमे पब्लिक रिले ान की आइटम नही है।

चौधरी रिजक राम : इन्फर्मे ान एण्ड पब्लिसिटी है।

श्री अध्यक्षः : यह उसमे भाामिल नही है।

चौधरी रिजक राम : भाामिल तो है। Kindly refer to Demand No.2

Mr. Speaker: The details of the items for which the supplementary grants have been asked for are given at page-3. These are—

(i) Expenditure incurred in connection with State Fu\neral of late Governor Sh. B.N. Chakravarty of Haryana;

(ii) Payment of decretal amount of rent;

(iii) Setting up of Haryana Pavillion at Calcutta; and

(iv) Financial Assistance to Lok Tilak Smark Trust.

Ch. Rizaq Ram: Kindly refer to page.2 It is written—

"Supplementary Estimates of the amount required in teh year ending 31st March, 1977 to defray charges in respect of (i) 212-President/Vice President/Govermor/Administrator of Union Territories (2) 253-District Administration and (3) 285-Information and puclicity. . . . . .."

Mr. Speaker: These are teh sub-heads under which these grants are to be accounted for. The details of the items are given at page 3 where there is no item of expenditure for "Information and Publicity."

चौधरी रिजक राम : इनफर्मे ानव और पब्लिसीटी के लिए एक लाख 65 हजार वोटिड है।

श्री अध्यक्षः : यह तो एलौके ान आफ सब हैंडज है जिसके अन्दर पैसा पड़ेगा। जिन आइटम्ज के लिए खर्चा मांगा गया है। वह पेज तीन पर दी गई है। इनमे पब्लिक रिले ान के लिए कोई खर्चा नही मांगा गया। इसलिए इस बारे मे डिस्क ान इरनैलेवैन्ट है।

चौधरी रिजक राम : अच्छा जी, चलो जी बहुत सी बाते तो आपकी इजाजत से मैने कह दी। अगर मुख्यमंत्री जी को कोई एतराज न हो तो इस इ ू के अन्दर एक मंत्री के 15–15 फोटो की बजाए एक ही फोटो आ जाये तो काफी हे।

श्री अध्यक्षः : आमतौर परा पोसवाल साहब का फोटो फ्रन्ट पेज पर होता हैं। (हंसी)

11.00 बजें

चौधरी रिजक राम : आपको मालूम है और किसी का फोटो आये या न आये परन्तु इनका जरूर आना चाहिए। तो मै यह चाहता हूं कि इस इ ा के अन्दर किसानो के मुताल्लिक, म ाीन के मुताल्लिक आना चाहिए। मै इस डिमान्ड पर ज्यादा नही कहना चाहता हूं।

जहां तक डिमानड नम्बर 15 का सम्बन्ध है उसके बारे मे तो बहुत कुद कहा जा चुका है क्योकि यह डिमान्ड इरीगे ान से सम्बन्धित है। डिमान्ड नम्बर 23 सो ाल वैलफैयर एन्ड रिहैबलीटे ान के बारे मे है। इसमे जो रूपया मांगा गया है वह हरिजनों को प्लाटस देने के लिए और जमीन एक्वायर करने के लिए मांगा गया है। स्पीकर साहब, यह सहारनीय कदम है। इसमे कोई संदेह नही है कि जिन लोगो को सिर छुपाने के लिए मकान नही थे अगर उनको घर बनाने के लिए प्लाटस दे दिये तो सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है। इस रूपये के देने से किसी को काई आपति नही हो सकती।

मै आपके द्वारा मुख्यमंत्री जी और राज्सव मंत्री के नोटिस मे एक बात लाना चाहता हूं कि जो कागजात तैयार किये गये है वे सभी कगाजात पटवारी लैवल तक ही तैयार किये गये

है। पटवारी की जिस आदमी के साथ लगती है उसका खेत ले लिया। एक आदमी ने बड़ी मु कल से एक किल्ला जमीन खरीदी है उसकी को एक्वायर कर लिया। पटवारी से नीचे के लैवल पर यह सारा कुछ हुआ। अफसरों ने कोई इस बारे मे जांच पड़ताल नही की। कुछ केसिज तो ऐसे भी है जहां प्लाटस के लिए जमीन एक्वायर की गई वहां पंचायत या पंचायत समिति की जमीन पड़ी हुई है और नाजायज तौर पर लोगो के कब्जे मे है उसको एक्वायर नही किया गया और दूसरां की आबपा ी वाली एक किल्ला जमीनन को एक्वायर कर लिया गया। यह सब उन लोगों ने रंजि ा निकालने के लिए किया है। उन जमीनों के नोटिफिके ान हो चुके है। वह नोटिफिके ान बन्द होनी चाहिए। जब उन लोगों ने नोटिफिके ान बन्द होने की दरखास्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रे ान मे दी तो वहां पर कब्जे की नोटिफिके ान हो चुकी थी। उन्होनें कि अब हम इसमे कुछ नही कर सकते। मै सरकार से यहा प्रार्थना करना चाहता हूं कि जहां पर ऐसे हार्डि ाप के केसिज है, उन लोगो की सहूंलियते मिलनी चाहिए। महज एक रंजि ा की बजह से या पटवारी के आर्बीट्रेरी एक ान की वजह से उन गरीब लोगो को नुक्सान नही होना चाहिए। एक गरीब आदमीप सारी उम्र मेहनत करके एक किल्ला या आधा किल्ला जमीन खरीदता है और उसको भी लोगों का प्लाटस देने के लिए ले लिया जाये तो वह बड़ी भारी हार्डि ाप है। ऐसे हार्डि ाप केसिज के अन्दर उन गरीबो को बदले मे जीन मिलनी चाहिए। बस, यही मेरी प्रार्थना है।

इरीगे ान मद पर काफी बहस हो चुकी हें इसमे जो रूपया लिया गया है यह जवाहर लाल नेहरू कैनाल के लिए या दूसरे कामों के लिए लिया गया है। यह बहुत अच्छा काम है और यह बहुत जरूरी काम है। मुझे इस पर कोई आपति नही है। लेकिन इसके साथ ही इस मद से सम्बन्धि मेरी एक प्रार्थना है बहुत छोट छोट काम है। अगर उनके लिए रूपया दे दिया जाए तो बीस हजार एकड़ रकबा आबपो ाी हो सकता है। छतहरा बालगढ लिफ्ट स्कीम है। अगर उस स्कीम पर गवर्नमैंट तीन लाख रूपया खर्च कर दे तो आठ दस हजार एकड़ जमीन पर पानी लग सकता हैं तीन लाख रूपये की कमी वजह से सारी जमीन बारानी पड़ी हुई है। इसी तरह से गौरड़ माईनर स्कीम है। सन 1970 से उस स्कीम पर कोई काम नही हुआ। आठ दस गांव है जैसे फरमाना है, सिलाना है ओर दूसरे है सब गावों के रकबे को पानी लग सकता हैं। पचास हजार एकड़ रकबे को पानी लग सकता है। मैने मुख्यमंत्री जी को चिटठी भी लिखी, लोगो की तरफ से भी दरखास्त भिजवायी लेकिन अभी तक तीन लाख, पांच लाख या दस लाख रूपया उन स्कीमों के लिए मंजूर नही हुआ। मै तो यह अर्ज करना चाहता हूं कि दूसरी बड़ी स्कीमों पर ज्यादा से ज्यादा रूपया खर्च करें क्योकि उन इलाको की भूमि ज्यादा प्यासी है, ज्यादा पानी की जरूरत महसूस करती है। लेकिन दूसरे इलाकों के लिए किसी स्कीम के लिए एक पैसा भी मंजूर न किया जायें। यह बात ठीक नही है। इसलिए मै मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करुगा कि जो ऐसे केसिज पड़े हुए है उनको भी निकालने की कोि ा ा

करें और थोड़ा थोड़ा पेसा उनको दिया जाये। (घंटी) आखिरी आइटम है जिसके बारे मे दो लफ्ज मैकहना चाहता हूं। स्पीकर साहब, फौरेस्ट के बारे मे इस एप्रोप्रिए ान बिल मे रूपय मांगा गया है, इस आत की मुझे खु ाी हैं। स्पीकर साहब, हमें अपने प्रान्त मे ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करके वन लगाने चाहिए। जब से दे ा आजाद हुआ है जमीन पर अनाज की उपज के लिए ज्यादा भार पड़ा। सरकार की तरफ से इस बात के लिए ज्यदा से ज्यादा दबाव आया कि अनाज के लिए हम जितनी नई भूमि जुटा सकते है वह जुटाए। सनस 1950 से या फर्स्ट प्लान से कहिए लाखों एकड़ जमीन जिसमे जंगलात थे उसको तोड़कर फसल पैदा की जा रही हें और आज हालात यह है कि पंजाब तथा हरियाणा मे कुल जमीन के दो तीन परसैन्ट जमीन मे ही जंगलात होगें जबकि हमारे दे ा के दूसरे प्रान्त जैसे मध्य प्रदे ा है, उड़ीसा है वहा 50 फीसदी जमीन मे जंगलात है। हम जंगलात से बहुत फायदा उठा सकते है। स्पीकर साहब, हमारे प्रान्त की बनावट कुछ ऐसी है कि जंगलात की आव यकता भी ज्यादा है और इससे हम फायदा भी बहुत ज्यादा उठा सकते हैं। एक इलाका हमारा जो राजस्थान के साथ लगता है वह रेगिस्तानी है। वहां हालत यह है कि नहर के लए खाल खोद कर लोग जाते है दूसरे दिन उसका नि ाान बाकी नही रहता वह रेत से ढक जाता हैं। वहां सड़क ाक पता नही लगता। वह सारी रेत से ढक जाती है। मैन वह इलाका देखा हें वहां सैंड डियुन्ज है। उस इलाके मे वृक्ष लगाने की बहुत आव यकता हे। बे ाक आप ज्यादा से ज्यादा भूमि खेती के काम

मे लोए लेकिन कोि ा ा कीजिए कि जो विलेज रोड़ज है स्कूल है कालिज है। पंचायत समिती के दफ्तर है कितनी ही और जगह है जहां पर वृक्ष लगाए जा सकते है। स्पीकर साहब, हमारे यहां कई प्रकार के इलाके हे। हमारेा एक इलाका रेगिस्तानी है। वहां पर आधियां चलती रहतीहै। वहा पर वृक्ष लगाकर जो रेत उड़ती रहती है। उसको रोका जा सकता है। एक गुड़गांवा मे फिरोजपुकर झिरका का इलाका है। इधर अम्बाला मे कुछ पहाडी़ इलाका है कुछ नदी नालो का इलाका है। लेकिन देखने मे यह आता है कि जितने भी पहाड़ है वे बैरन वहा दरखत नही है। वहां दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। दूसरे इलाको मे भी इस तरह की कोि ा ा करनी चाहिए। स्पीकर साहब, मै ज्यादा न कहतें हुए आपके द्वारा प्रार्थना करना चाहता हूं कि गुड़गावा के रोहतक के या सोनीपत के आसपास के इलाके है वे दिल्ली के नजदीक होने के नाते हमे कमि र्यिल बेसिज पर वृक्ष लगाकर फायदा उठाना चाहिए। जंगलात कटने से गरीब लोगो भूमि पर जंगलात लगाए जाएगें यह एक अच्छा डिसिजन है। पहले जब जंगलात थे तो गरीब आदमी मेवे ाी रखकर अपना गुजारा कर लिया करता था लेकिन अब चरागाह ने होने के कारण गरीब आदमी प ाुपालन नही कर सकता। एक तरफ तो हम डेरी डिवेलपमैंट पर जोर दे रहे है और दूसरी तरफ चरागाह नही है जिनव पर लोग प ाुपालन नही कर सकता। जंगलात का जहां तक ताल्लूक है मेरी तजवीज है कि यह काम सिर्फ फारैस्ट डिपार्टमैंट पर ही छोड़ा जाए बल्कि जितने भी डिपार्टमैंट है, चाहे

वह एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट है, चाहे एजुके ान है स्कूल्ज है क्लासिज है, पंचायत के दफ्तर है, सब को दरक्ष्ता लगाने मे हिस्सा लेना चाहिए ताकि इकानेामिक फायदा हो, कमर्ियल फायदा हो और दूसरे फायदे भी हों।

चौधरी पीर चन्द (बरवाला अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, मै इस बिल की डिमान्ड न. 13. . . ..

Mr. Speaker : Order please. Day before yesterday I had to adjoun the House earlier as no member rose to speak on day. You can only speak on the principles of the Bill. कोई मैम्बर उस दिन बोलने के लिए उठा नही। दो तीन घंटे पहले हाउस ऐडजर्न करना पड़ा।

चौधरी पीर चन्द: स्पीकर साहब, मै यह कोर्ि ा ा करूंगा कि बिल पर ही बोलू।

Mr. Speaker : Order Please. The time limit has been fixed. पांच पांच मिनट के लिए बोलें। टाईम फिक्स किया हुआ है। एक घंटे का टाइम फिक्स किया हुआ हैं।

चौधरी पीर चन्द: अध्यक्ष महोदय, इस बिल के द्वारा मै मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसके अन्दर समाज कल्याण विभाग को जो रकम दी गई है यह बहुत अच्छा काम है और सराहनीय है इसके लिए मै आपके द्वारा मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं औरइसके साथ ही साथ मै यह भी कहना चाहता हूं कि

यह रकम सिर्फ प्लाटों के लिए या चौपालो मुरम्मत के लिए दी गई है इससे कोई हरिजनों का भला नही हाने जा रहा है। हमारी प्रधान मंत्री जी ने जो 20 सुत्री कार्यक्रम हरिजना तथा गरीब लोगो की भलाई के दिया है और कहा है कि इन लोगो को कुछ उत्साह दिया जाए, इन्हे अपने पांव पर खड़ा होने दिया जाए लेकिन इससे मै समझता हूं कि कोई भला नही हो सकात। कोई रचनात्मे काम होना चाहिए। इनको किसी किस्म का रोजगार दिया जाए, रोजगार के लए कुछ सुविधाए दी जाए। या तो उनको जमीन दी जाए अथवा कोई इण्डस्ट्रीज दी जाए ओर या उनको मुलाजमत दी जाए। लेकिन इसके अन्दर वह बात हुई जैसे कि एक वृक्ष को लगाया जाए और उसे पानी भी दिया जाए लेकिन दूसरी तरफ उसकी जड़ो को काट दिया जायें। तो स्पीकर साहब, इस तरह की ये सरी बाते होती है क्योकि अभी 5 मई 1976 को चीफ सेक्रेटरी साहब का एक आर्डर निकला है। उसमे उन्होने तमाम वैकनसीज मे हरिजनों को एडहाक बेसिज पर लगाने के लिए बैन कर रखा है। इस बारे मे हर डिपार्टमैंट के अन्दर यह चिट्ठी पहुंची कि किसी भी हरिजन को एडहाक बेसिज पर न रखा जाए। रिजर्व बेसिज पर आई कोई रिजर्वे ान नही है।

Mr. Speaker : Order Please. No, I will not allow this things (Interruptions) What are you criticising? इसके अन्दर सिर्फ दो आइटम्ज है उसमे आने गवर्नमैंट को धन्यवाद देना हैं।

चौधरी पीर चन्दः स्पीकर साहब, मै क्रिटीसीजम नही कर रहा हूं। मै तो केवल आपके द्वारा अपनी बाते सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। चूंकि आप डिमान्डज पर बोलने की इजाजत दे रहे है अगर आप ऐसा ठीक नही समझते तो आप कम से कम हमे कुछ गाइड लाईन्स दे दें ताकि हम उन के मुताबिक बोल सकें।

राव निहाल सिंहः स्पीकर साहब, आपने उन्हे अंग्रेजी मे हा है ओर वह यह समझ बैठे कि जो कुछ वे कह रहे है, ठीक है (हंसी)

चौधरी पीर चन्दः स्पीकर साहब, मै तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आर्डर प्लीज। आप इस मांग के जरिये सारी पालिसी, सार हरिजनों के मुताल्लिक और सारे डिपार्टमैंट को क्रिटीसाइज नही कर सकतें।

चौधरी पीर चन्दः स्पीकर साहब, यह दो नम्बर डिमांड भी तो है, इस के मुताल्लिक तो मै कह सकता हूं।

Mr. Speaker : Order Please. This is not general discussion on Budget. Thsi is a demand. The demand includes only two items. Then What are you Criticising? (Interruptions) I will not allow general discussion.

चौधरी पीर चन्दः स्पीकर साहब, ठीक है, अगर आप मुझे बोलने की इजाजत नही देते तो मै बैठ जाता हूं। हम पर जो अत्याचार होता हो अगर आप उसके बारे मे नही कहने दे तो . . . . . .

Mr. Speaker : I will not allow this debate like this. The notification has got no relevancy with the Appropriation Bill.

चौधरी पीर चन्दः स्पीकर साहब, आप कम से कम मेरी बात तो सुने मेरा कहने का मतलब यह है कि . . . . . (विघ्न)

Mr. Speaker : If you are to be irrelevant, then you please resume your seat.

चौधरी ि ावराम वर्मा (नीलोखेडी़): स्पीकर साहब, हरियाणा विनियोग विधेयक 1976 के बारे मे जिस पर यहां चर्चा चल रही है, उस पर बोलने के लिये मै खड़ा हुआ हूं। मै कोई ज्यादा लम्बी चोडी़ बाते नही कहूंगा अगर थोड़ा बहुत इधर उधर कह भी जाऊ तो आप मुझे रोक न लगाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मै सबसे पहले मांग नम्बर 2 और 3 के बारे मे कुछ कहूंगा। सामान्य प्र ाासन और गृह विभाग चूंकि दोना ही मुख्यमंत्री महोदय के पास है इन दोनो के बारे मे मै इक्ट्ठी ही चर्चा करूंगा सारी बातें इनके बीच मे ही आ जाती हे। अतः इस मे मुख्य मंत्री महोदय जितना भी ध्यान दे वह बड़ी अच्छी बात है। इस बारे मे स्पीकर साहब, मै एक दो उदाहरण देना चाहता हूं।

पहली तो यह कि मेरी डाक गृह विभाग ने रोक रखी है ओर इस मे कोई न्याय की बात नही है। हमने पिछले दिनों करनाल मे जो हरियाणा जनसंघ की कार्य समिती की एक मीटिंग बुलाई थी, उसमे कोई ऐसी गुप्त बात तो थी नही लेकिन फिर भी पत्र रोक लिये गये जहां जहां भेजे थे नही पहुंचे।(विघ्न)

श्री रामसरन चन्द मितलः स्पीकर साहब, डिमांड नम्बर 2 और 3 दोनो मे ही ऐसा कोई जिकर नही है, जिस पर ये बोल रहे हैं। Sir, it has nothing to do with the demand under discussion.

चौधरी ि ावराम वर्मा (नीलोखेडी़): मितल साह तो ठीक है हम कुछ भी नही कहते (ाोर) तो स्पीकर साहब, मै कह रहा था कि करनाल मे हमने एक मीटिंग बुलाई थी। . . . (विघ्न) . .. .

Mr. Speaker : Order Please.

चौधरी ि ावराम वर्मा (नीलोखेडी़): स्पीकर साहब, मै तो केवल दो या तीन मिनट ही बोलूंगा।

Mr. Speaker : Order Please. It is not a Questio of two minutes or ten minutes. The Question is as to what you can say on this and what you cannot say. जब आपको बोलने के लिये अलाउ किया गया तो आप सिर्फ उन आईटमज पर बोल सकते है जोकि इन मे भाामिल है। सारे बजट को क्रिटिसाइज नही कर सकतें।

चौधरी ि ावराम वर्मा (नीलोखेड़ी): स्पीकर साहब, मै क्रिटिसाइज तो नही कर रहा हूं। मै गृह विभाग के बारे मे बोल रहा हूं स्पीकर साहब, इस विभाग मे कुछ सुधार की जरूरत है। इसमे सरकार की बदनामी होती है। स्पीकर साहब, मुझे इस बात की जानकारी भी मिली है कि यहां से कोई टेप रिकार्डर भी गया है। इस बात की जांच पड़ताल होनी चाहिए। एक और बात जिसका मुझे पता चला है वह मै मुख्य मंत्री महोदय के नोटिस मे लाना चाहता हूं कि दादरी मे एक भाराब की दुकार पर झगड़ा हो गया और इनकी पार्टी के किसी सदस्य की वजह से ऐसा हुआ, इस बारे भी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरी बात स्पीकर साहब, पिपली रेस्अ हाउस मे भी इनके मन्त्रिमण्डला के एक सदस्य के मुंइ पर एक भाराबी ने थप्पड़ भी मारा। इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिये। स्पीकर साहब, मै इसलिये कह रहा हूं कि इस मे सरकार की बेइज्ती हैं।

Mr. Speaker : Order Please. Order please. This is not relevant to this bill. How can I allow all the irrelevant things to be brought in this discussion?

चौधरी ि ावराम वर्मा (नीलोखेड़ी): स्पीकर साहब, मेरा कहने का मतलब यह था कि इस से सरकार की बदनामी होती है। (विघ्न)

श्री रामसरन चन्द मितल: स्पीकर साहब, यह तो सारी बाते एक्सपंज होनी चाहिये।

चौधरी ि ावराम वर्मा (नीलोखेडी़): स्पीकर साहब, इससे आगे मै इण्डस्ट्रीज के बारे मे कुछ कहूंगा कि काटर और विलेज इण्डस्ट्रीज को सरकार को प्रैफरैन्स देनी चाहियें। बड़ी तथा मध्यम इण्डस्ट्रीज को भिन्न भिन्न स्थानों पर फेलाया जाये और इसी तरह की एक योजना नीलोखेड़ी के लिये भी बनाई जाए।

कृशि विभाग के बारे मे डिमाण्ड नम्बर 17 पर तो मै इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार को रोग–रहित बीज देने पर ध्यान देना चाहिये और खेतों मे रोगों की रोक–थाम के लिये उपाय किए जाने चाहियें। स्पीकर साहब, इससे आगे डिमाण्ड नम्बर 13 के बारे मे केवल इतना ही कहूंगा कि जहां हरिजनों को प्लाटस दिये गये है वहां उनको मकान बनाने के लिये वितीय सहायता भी दी जाए। अगर तो ऐसा किया गया तब तो ठीक हैप नही तो सो ाल वैलफेयर वहां का ही पड़ा रह जाएगा।

इरीगे ान के बारे मे बहुत कुछ कहा जा चुका है। यदि सरकार मे वह इतना नही है क्योकि जब हमारा ए योरड सिंचित होगा तब हम समझेगे कि पानी है और उससे लोगो को ज्यादा लाभ पहुंच सकता है।

फारेस्ट के बारे मे मै केवल इनता ही कहना चाहता हू कि हमारे प्रदे ा के अन्दर बहुत सी भूमि कल्लर भूमि के रूप मे पड़ी है जिस थूर भी कह सकते है, वह खेती के काबिल नही है इसलिये उनके अन्दर जंगलात लगाए जाऐं। अगर सरकार उसमे

जंगलात लगा कर उसे जमीन के मालिको को सोंप देगी तो जहां मालिाको को उससे लाभ होगा वहां उससे प्रदे ा की दौलत बढेगी।

एक आखिरी बात मै एक मिनट मे कह कर बैठ जाऊंगा और वह एनीमल हसबैंडरी के बारे मे है। प ाु–पालन की तरफ भी पूरा ध्यान दिया जाना चाहियें। अगर इस तरफ ध्यान न दिया गया तो किसान का केवल खेती से ही गुजारा होने वाला नही हैं इसलियें इस तरफ भी बहुत भीघ्रता से ध्यान दिया जाना चाहियें। बहुत से प ाु बेकार प ाुओं के नाम से हमारे प्रदे ा से बाहर जाते है। अगर इनकी नसल सुधारी जाए तो इनसे भी बहुत लाभ मिल सकता है। दूसरी चीज प ाुओ के इलाज के लिये डिस्पेंसरियां गांव गांव मे होनी चाहियें क्योकि एक आदमी अगर बीमार हो जाता है तो उसे तो बाहर ले जाया जा सकता है लकिन प ाु को बाहर नही ले जाया जा सकता है तो उसमे काफी कठिनाई होती हैं। इसलिये इनके लियें घर मे ही इन्तजाम होना चाहियें। इन भाब्दों के साथ मै आपसे निवेदन करूंगा कि जो सुझाव मैने दिये है उनक पर सरकार गौर करें।

मुख्यमंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिए ान बिल पर बोलने के लिये एक घंटा दिया गया था।

श्री अध्यक्ष: अब मैम्बर साहेबान से 5–5 मिनट से खत्म करें।

चौधरी प्रताप सिंह दोलताः स्पीकर साहब, मै सिर्फ दो मिनट लूंगा। स्पीकर साहब, मै पहला मिनट तो उस डिमांड की तरफ अर्ज करूंगा जो अपनी विधान सभ के एक्सीपैंडीचर के बारे मे है। मै इस पर ज्यादा कुछ न कहते हुए यह कहूंगा कि इसमे थोड़ा सा एक्सपैंडीचर ज्यादा कर दिया जाए क्योकि हरियाणा मे लैजिसलैटर्ज इनकलूडिंग मैम्बर्ज आफ पार्लियामैंट के, आपको तो बड़ा तजुरबा है। आप घूमे है ओर आपने देखा है कि सिवाए तीन छोटे मुल्कों सें, बाकी सबसे लो–पेड–मैम्बर्ज है ये वे मैम्बर्ज है जिन मे सावरनिटी ले करती है। चौधरी हरद्वारी लाल जेल मे है यहां नही है। तो हस्पताल मे एक मैम्बर फार्म भर रहा था। जब उस फार्म मे उसने तनखाह पांच सौ भरी तो नर्स ने कहा कि ''बस'' और वह हैरान हुई कि इसके पीछे इतने आदमी क्यो फिर रहे है? यह किफायत सिर्फ पंजाब और हरियाणा मे हो रही है। मेरे जो साथी जेलों मे डिटेड है, उनको गवर्नमैंट ने खु ी से वहां नही भेजा। बदकिस्मती से ऐसी पोलीटीकल सिचूए ान डिवैल्प हो गई कि कुछ गैर जिम्मेदार आदमियों ने इलैक्टिड आदमियों का पीटना भाुरू कर दिया और इलैक्टिड मिनिस्टरों का मर्डर करना भाुरू कर दिया। यह बदकिस्मती की बात है। कि फासिस्अ ताकत सिविल लिब्रटीज को सप्रैस करने मे कामयाब हुई। यह कोई प्लेजैंअ अफेयर नही है कि इलैक्टिड मैंम्बर्ज तो जेलों मे हो औरप हमारे दु मन इस चीज के लिये कामयाब हों। जो लोग जिनकी सिविल लिब्रिटीज डिप्राइव्ड है जैसे चौधरी चांद राम जी है उनका कोई कारखान नही हैं चौधरी देवी लाल की तरह से

कोई जमीन और बैंक बैलेंस नही है। उसके बच्चे भूखे मर रहे है। सिवाए पंजाब और हरियाणा के बाकी स्टेटस के जो मैम्बर जेल में है सबकों उनके पूरे अलाउंस मिलते है उनकी एबसैंस मे सिर्फ दस रूपए टोकन के तौर पर कटते हे। इसलिये मै चीफ मिनिस्टर साहब से रिकवैस्ट करूंगा कि इन लोगो को अलाउंस जरूर मिलने चाहिये। दूसरे इस बारे मे मै यह कहता हूं कि जहा तक लाईब्रेरी कमेटी का ताल्लूक है यह कमेटी का खु ाामद की कि इस कमेटी को जाने दों। इस बार यह कमेटी जाएगी क्योंकि हमने लिबर्ली सब लाइंज पर डिवैल्पमैंट करनी है। गुजराती किताबे भी हम लेगे, महाराश्ट्रीयन किताबे भी हम लेगे और बंगाल किताबे भी हम लेगे तो इस प्राकर का यह हमारा प्रोग्राम है। अगर किसी ओर मैम्बर ने मदद देनी हो तो हम उसको भी स्पै ाल इनवाइटी के तौर पर ले जा सकते है।

श्री अध्यक्षः चौधरी रिजक राम अगर आपकी तरफ न देखें तो .....(हंसी)

चौधरी प्रताप सिंह दोलताः दूसरी बात मै अफारैस्टे ान के बारे मे कहना चाहता हूं। मेरे पास यह महकमा 8 महीने रहा था, मेरा तजरबा है। मुझ से कामरेड डांगे हंसने लगे कि यह महकमा क्या लिया? हरियाणा मे न तो मच्छी होती है औ न ही द्रखत लगाने की कोई जगह है, महकमा मिला तो क्या मिला? मै गवर्नमैंट को कहता हूं कि पहले बहुत अच्छी ट्रेडी ान्ज थी जो अब खत्म हो गई है। आप सबको रूरल बेक ग्राउंड का पता है कि

जो आदमी मरता था मरने से पहले वह पांच द्रखत जरूर लगा कर जाता था और फिर उसकी ओलाद उनकी अच्छी तरह से हिफाजत करती थी। मुझे यसाद है कि एक दफा किसी ने किसी के एनसैस्ट्रल नी का द्रखत काट दिया और उसके लिये तीन मर्डर हुए और मै उस केस मे हाई कोर्ट की स्टेज तक एसोि ायेटिड रहा। फिर इसका बदला लेने के लिये तीन आदमीयों को सजा हुई जिनसे दो को उम्र कैद हुई औरप एक को फांसी हुई तो वह ट्रेडी ान तो अब खत्म हो चुकी हैं फिर कन्सोलीडे ान डिपार्टमैंट कि जरिये से जो अलाटमैंट की गई उसने वह कुल्हाड़ा चलाया कि रूरल एरियें के तीन चौथाई द्रखत खत्म होते चले गये और फिर गौंडा और घोर चलाया जो थे उनके दोनो तरफ के भी द्रखत हो गए। उसके बाद गजब तब हुआ जब विलेज कामन लैंड की डैफीनी ान मे न सिर्फ पंचायत को लैंड वैस्ट हुई बल्कि वह छोटे छोटे जोहड़ जो किसानों ने अपने खेतों मे प ाुओ को पानी पिलाने के लिये छोडे हुए थे वे भी बर्बाद हो गए। जब उस जमीन का बंटवारा हुआ तब या तो वह जमीन गांव मे वैस्ट कर गई या पंचायत मे वैस्ट कर गई अगर तो वह पंचायत मे वैस्ट कर गई तब तो पंचायत वालों ने वहां से द्रखत काट लिये और अगर बच गई तो वह लोगो ने काट लिये। इस वजह से छोटे छोटे खुबसूरत द्रखत भी खत्म हो गये। तो मै अर्ज करूंगा कि इस डिपार्टमैंट को हरियाणा मे बहुत काम है और इसकी बहुत आव यकता है। मेरी समझ मे नही आता कि सड़कों के किनारें जहां द्रखत लगाए जा सकते है क्यो नही लगाये जाते । मुझे इस महकमे के कर्मचारी

और मिनिस्टर साहब इस बात के लिये माफ करें कि इस महकमें के पास और कोई बड़ा काम नही हैं लेकिन अगर ये सड़क के दोनो किनारो पर और रेल की पटरी के दोनो और भी द्रखत न लगा सकेगे तो और क्या करेंगे? अब विलेज कामन लैंड वैस्ट पड़ी है उस जगह पर भी द्रखत लगाए जा सकते है। अगर ऐसा जो जाएगो तो यह भी आपके रूरल डिवैल्पमैंट के प्रोग्राम मे भाामिल हो जाएगा अगर ऐसा हो जाएगा तो यह भी आपके रूरल डिवैल्पमैंट के प्रोग्राम मे भाामिल हो जाएगा। वजीर साहब मेरी बात को नोट कर लें कि किसी भी सड़क का किनारा और कोई भी रेल की पटरी ऐसी न रहे जहां द्रखत न हों। इन भाब्दों के साथ मै आपका भाुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूं।

वित्तमंत्री (श्री राम सरन चन्द मितल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सप्लीमैंट्री एस्टीमेटस मे जैसा कि आपने अभी फरमाया था कि जब डिमांउ डिसक ान मे आयी थी और जब सदस्य उन पर विस्तान से बोल सकते थें तब उन्होने उस अवसर का लाभी नही उठाया और आज एक रिस्ट्रिक्टिड सबजैक्ट पर बोलना इनता मुनासिब नही था। चौधरी रिजक राम के जवाब मे मै एक आईटम पर कुछ अर्ज करना चाहता हूं जो कि डिमांड नम्बर 1 के बारे मे है।। यह जो डिमांड है अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के बारे मे है। उन्होने कहा कि इस के खर्चे मे इकनामी होनी चाहिए। वित्त मंत्री ने इकानामी का संदे ा दिया था। जहां तक वित्त मंत्री या वित मंत्रालय का सम्बन्ध है उसके खर्चे के बारे मे जवाब देने का

जिम्मेदार हूं लेकिन जो विधान सभा की आईटम होती है जो स्पीकर साहब, मै खुद स्पीकर रह चुका हूं मै भी इस पर डिस्क ान अलाउ नही करता था इसलिए इस पर डिस्क ान नही हो सकती। चौधरी रिजक राम कहते है कि वह कमेटी गयी थी ओर चौधरी प्रताप सिंह दौलता कहते है कि गयी नही। अब इस बात का जवाब कौन देगा वेसे मै अर्ज करता हूं जो कूप्नज रेलवे के होते है उसका पैसा देना पड़ता है। यह तो हाउस का एक्ट है कि 16 हजार किलोमीटर ट्रैवल करने को आप फाईनैि ायल इयर मे हक रखते हैं। हम इसमे भी कुछ कट नही लगा सकतें।

दोलत साहब ने कहा 500 रूपये जो मैम्बज्र का अलाउंस है यह कम है लेकिन स्पीकर साहब, मुझे याद है कि जब चोधरी बंसी लाल चीफ मिनिस्टर थे उन्होने 300 रूपये का जो अलाउंस था उस वक्त उसे इंक्रीज किया था तो उस पर भी बड़ा क्रिटिसिज्म किया गया था कि साहब यह नही बढाया जाना चाहियें। तो उस वक्त यह प्रोवीजन रखा था कि जो मैम्बर इंक्रीजड अलाउंस लेना चाहे वह अपना डिकलेरे ान दे दे और उसको ज्यादा मिलेगा लेकिन आप हैरान होगें कि जिन्होने नुक्ताचीनी की उन लोगो ने भी डिक्लेरे ान दिये और सब ने ऐनहैंस्ड अलाउंस लिया। इसी तरह स्पीकर साहब, अगर हम अब बढायेगे तो कई मैम्बर साहबान कहेगे कि यह नही बढना चाहिए लेकिन जब लेने का सवाल आयेगा तो सभी ले लेगें।

एक और सवाल चौधरी ि ाव राम वर्मा ने उठाया था कि प्लाट्स तो हरिजनों को दिये जा रहे है लेकिन उनको घर बनाने के लिए फाईनैन ाल असिस्टैंस नही दी गई जो कि सरकार को देनी चाहिए। इसके सम्बन्ध मे हमारे मुख्यमंत्री साहब ने हाउस मे प्लेन बर्डज मे कहा था कि गवर्नमैंट कुछ इन्तजा कर रही हैं उनका कुछ न कुछ इमदाद जरूर मिलेगी। प ाु पालन के मुताल्लिक भी कुद कहा गया था इस संबंध मे मै निवेदन करूंगा कि इसके लिए कोई लम्बी चोड़ी डिमाण्डस नही है। प ाुओ की नस्ल सुधारने के लिए गवर्नमैट ने बाहर से सांड मंगाए हैं। वे बहुत कीमती है औरप उनके सीमैन का आर्टिफि ायल इनसैमीने ान करवा कर गायों का दूध बढाने के लिए स्टैप्स लिए जा रहे हैं। इस तरह उनकी नस्ल इम्प्रूव की जा रही है। हर देहात मे प ाुओ की नस्ल को इम्प्रूव करने के लिए आर्टीफि ाल इंसैमीने ान सैंटर खाले जा रहे हैं। इसके अलावा और कोई ऐसा प्वायंट नही जिस का जवाब देने की जरूरत हो। इसलिए मै निवेदन करूंगा कि इस बिल को पास किया जाए।

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the bill clause by clause.

Clauses 2 & 3

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The Motion was carried.

Clauses 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 1 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the title of the Bill.

The Motion was carried.

Finance Minister (Sh. Ram Saran Chand Mital): Sir, I beg to move—

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be passed.

The Motion was carried.

दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (सैकिण्ड अमैडमैंट) बिल, 1976

Excise and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand): Sir, I beg to introduce the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1976.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is

That the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Now the house will take up the bill Clause by Clause.

Sub-Clauses (2) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub-Clauses (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Clauses 2 to 6

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 2 to 6 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Sub-Clauses (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub-Clauses (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the title of the Bill.

The Motion was carried.

Finance Minister (Sh. Ram Saran Chand Mital): Sir, I beg to move—

That the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill be passed.

The Motion was carried.

दि पंजाब कोआप्रटिव (हरियाणा सैकिड अमेंटमैंट) बिल, 1976

State Minister for Home and Health (Smt. Sharda Rani): Sir, I beg to introduce the Punjab Cooperative Societies (Haryana Second Amendment) Bill, 1976.

Mr. Speaker: There is a notice of motion for disapproval form Sh. Shiv Ram Verma and Sh. Ram Lal. If the House agrees the resolution regarding disapproval of the Punjab Cooperative Societies (Haryana Second Amendment) Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No.2 of 1976) and the motion that the Punjab Cooperative Societies (Haryana Second Amendment) bill be taken into consideration at once be discussed together are voted upon saparately.

Voice: Yes

चौधरी ि ाव राम वर्मा (नीलोखेंडी): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैने इसके बारे मे जो डिसऐप्रूवल का नोटिस दिया है उसको मै अभी पढ़ देता हूं उसके कारण क्या यह मै बाद मे बताऊंगा।

मै प्रस्ताव करता हूं––

That this House disapproves the Punjab Co-Operative Societies (Haryana Second Amendment) Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No.2 of 1976).

Mr. Speaker: Motion Moved—

That this House disapproves the Punjab Co-Operative Societies (Haryana Second Amendment) Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No.2 of 1976).

Mr. Speaker: Question is

That this House disapproves the Punjab Co-Operative Societies (Haryana Second Amendment) Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No.2 of 1976).

Shrimati Sharda Rani: Sir, I beg to move—

That this House disapproves the Punjab Co-Operative Societies (Haryana Second Amendment) Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No.2 of 1976).

Mr. Speaker: Motion Moved—

That this House disapproves the Punjab Co-Operative Societies (Haryana Second Amendment) Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No.2 of 1976).

चौधरी ि ाव राम वर्मा (नीलोखेंडी): अध्यक्ष महोदय, इस बिल के जरिए प्रिसिंपल एक्ट मे काफी सं ाोधन किए गए हैं। इसकी नम्बर (2) क्लाज आप देखें। प्रिसिंपल एक्ट का जो पीछे ऐक्सट्रैक्ट दिया गया है उसमे इस सं ाोधन के बारे मे क्लाज दो के सं ाोधन के बारे मे कोई ऐक्सट्रैक्ट नही दिया गया क्योकि इसमे लिखा है किः—

"2. After clause (1) of section 2 of the Punjab Co-Operative Societies Act 1961 (hereinafter referred to as the principal Act), the following clause shall be inserted, namely;-"

इसका ऐक्सट्रैक्ट चूंकि नही दिया इसलिए मुझे पता नही लगाकि असल मे ऐक्ट मे क्या है और अब यह क्या सं ाोधन

लाया जा रहा हैं। तो इसके बारे मे मै कुद नही कह सकता क्योकि पूरी तरह से जानकारी नही दी गई हैं। इससे आगे क्लाज (3) हैं। यह लोकतंत्र के थोड़ा विरोध मे जाती हैं क्योकि रजिस्ट्रार को ज्यादा पावर्ज दी जा रही है। डेमाक्रेटिक सैट अप जहां हों, वहां पर तो लोगो का अपनी मर्जी से काफी हद तक काम करने दिया जाता है। चूंकि इसमे यह बात नही है इसलिए मै इसका विरोध करता हूं।

इस अमैंडिंग बिल की चौथी क्लाज मे तो बहंत सी बाते कही गई है। (2) (ए) मे भोयर कैपिटल के नाम पर तीन डायरैक्टर्ज सरकार बनाऐगी अपनी तरफ से। फिर (बी) मे ऐम्पलायर के नाम पर तीन बनेगें। उससे आगें (सी) हैं। इसमे फाईनैन्स कार्पोरे ान का एक होगा। उससे आगे (डी) है। इसमे इण्डस्ट्रीयल फाईनैन्स कार्पोरे ान और किसी और सैन्ट्रल फाईनैसिंग इंस्टीच्यू ान के नाम पर तीन होगें। फिर उससे आगे (ई) है। इसमे टेक्निकल ऐक्सपर्ट के नाम पर दो और नोमिनेट कर दिए जाएगें। जब सारे मैम्बर्ज तो इस तरह से बना लिए जाएगें तब वहां लोकतत्र क्या रहेगा? स्पीकर साहब, यही नही एक और बात भी की जा रही है। (एफ) मे कहा गया है कि एक मैनेजिंग डारैक्टर भी सरकार बनाएगी जो आई.ए.एफ. होगा, या एच.सी. हागा या कोई इसी तरह का दूसरा औफिसर होगा। इस तरह से लोकतंत्र की भावना जो है वह इसमें समाप्त कर दी गई है। इसलिए मै इसका विरोध करता हूं या तो इसको सुधारा जाए नही

तो सरकार इसको वापिस ले ले या फिर आपके द्वारा माननीय सदस्यों से मै निवेदन करूंगा कि इसको वे अस्वीकृत कर दें ताकि इसको ठीक करके दुबारा लाया जा सकें।

चौधरी रिजक राम (राई): स्पीकर साहब, यह जो अमैंडिग बिल है इससे ज्यादा विरूद्व कोई किबल कोआप्रेटिव के कार्य{म मूवमैंट का सवाल है, हरियाणा मे वह कोई मूवमैंट के तौर पर नही है बल्कि सरकार का और सरकारी कर्मचारियों का उस पर इतना अधिकार है कि वह एक महकमा बना हुआ है। हर जिले मे जो भी डिस्ट्रिक्ट इंस्टिच्यू ांज हैं, सैन्ट्रल वहा कैरी आउट करते है। किसी भी मुल्क मे और इस मुल्क मे, जहां भी यह कोआप्रेटिव का काम भाुरू हुआ, वहां सबसे मोटा सिद्वान्त यह रखा गया था कि यह एक तहरीक के तौर पर होगा और वालंटरी बेसिज पर होगा। इसमे जबर्दस्ती का सवाल नही। इसमे ऊपर से दबाव का सवाल नही बल्कि लोग मर्जी से इकट्ठे होकर जो काम कर सके वह करे और महकमे के जिम्मे जासे काम सुपुर्द हुआ था वह सिर्फ इस कदर था कि गाइडैन्स दें। पंडित जवाहर लाल नेहरू के अनुसार पंचायतस और कोआप्रेटिव ने ग्रास रूट डैमोक्रेसी के रूप मे दे ा मे काम स्पिरिट को, उस इंटैन्ट का नाबूद कर दिया गया, इसका एक महकमा बना दिया और यहां तक कि एक एक अफसर और सैक्रेटरी तक सरकार की मर्जी के खिलाफ भर्ती नही होते। इन सैक्रेटरीज को इंसपैक्टर्ज आदि से मिल करके आज डेढ दो करोड रूपये के गबन के केसिज लोगो के खिलाफ डाले है।

इस बिल मे भी कोई यह बात नही कि कोठ सुधार की बात आई हो। मेने किसी मुल्क मे दे ा देखा कि कोआप्रेटर्ज की मर्जी के खिलाफ सरकार मैम्बर बना दें। यहा तो कह दिया कि जो दरखास्त दे देगा, दरखास्त देने की तारीख से वह मैम्बर बना दे। यहां तो कह दिया कि जो दरखास्त दे देगा, दरखास्त देने की तारीख से वह मैम्बर समझा जाएगा ऐसी बात हमने देखी नही। चाहे क्वालिफिके ांज पूरी करे या न करे, चाहे नाबालिग, लुनेटिक या इनसेन हो, चाहे हिस्सा दिया हो या न दयिा हो, चाहे डिफाल्टर हो दूसरी सोसाइटीज का, लेकिन दरखावास्त दे और मैम्बर बन जाए ऐसी बात हमने कीाी सुनी नही थी न ही हमें मालूम था कि महकम इतनी हद तक जाएगा कि कमेटी चाहे या न चाहे, मैम्बर चाहे या न चाहे परन्तु दरखास्त देते ही कोई इंडिविजुअल मैम्बर बन जाएगा। सबसे चातरानाक क्लाज इसमे एक और डाली गई है जेसे वर्मा साहब ने बताया इसके अनुसार 12—13 के करीब सरकारी मैम्बर हो सकते हैं। सरकार जिसको चाहेगी उसको मैम्बर बना देगी। उदाहरण के लिए मै क्लाज 4 की सब—क्लाज (बी) पढ देता हूं। इस क्लाज के जरिए ये सैक ान 26 मे तरमीम करने चले है।

"(b) where the employer has contributed to the share capital of teh employess co-operative society to the extent of two thousand and five hundred rupees or more, the employer shall have the right to nominate three members or one-third of the total number of members thereof, whichever is less, on the commitee of such society.:"

स्पीकर साहब, भूगर मिल्ज के केन ग्रोअर्ज की सोसाइटीज है। केन ग्रोअर्ज की सोसाइटीज मे ऐम्पलायर की, जो मिल ओनर्ज है ज्यादा से ज्यादा इस बात की कोि ा ा है कि उन पउ वह कंट्रोल रखें। जमुनानगर के इलाके मे, कितने ही केन ग्रोअर्ज न का तकारों ने अपनी सोसाइटीज बनाई है लेकिन बहुत अर्से से उनके बाई लेाज मे एक क्लाज थी कि भूगर मिल जमुनानगर जो है, यानी सरस्वती भूगर मिल वह एक डायरैक्टर नामिनेट कर सकती है। उस पर डायरैक्टर न भी जो केन ग्रोअर्ज थें उनके हकूक को खराब करने मे या उनको परे ाान करने मे कोई कसर नही रखी थी। सन् 1965 मे वह जो बाईलपज मे क्लाज थी उसके बारे मे हमने कहा कि चूंकि यह ऐक्अ की मं ाा के खिलाफ है इसलिए इसको डिलीट कर दिया जाए। तब जाकर के कहीं वह क्लाज उड़ाई गई। लेकिन आज सरकार क्या करती हैं उन मिल आनर्ज का पूरा दबदबा केन–ग्रोअर्ज की सोसाइटीज मे लाने के लिए कह दिया कि अगर अढाई हजार रूपया वह दे दे तो तीन डायरेक्टर बना सकते हैं। ये जो एम्स एंड आबजैंक्टस है इसमे इनहोने यह नही दिया। उसमे यह छुपा कर रखा है और बातो के बारे मे जिक्र किया है इंडस्ट्रियल कारपोरे ान और गवर्नमैंट के मैम्बरर्ज हम क्यो कर रहे है। ऐम्पलायर्ज का दे ा भर मे हमने कही नही देखा कि 2500 रूपया दे और तीन मैम्बर्ज बना लें। तीन सरकार के हो गए, तीन फाईनैंस कारपोरे ान के हो गए, दो ऐक्सपर्ट हो गए। दूसरी ऐन्टरप्रन्योर्ज है। जो नौजवान लड़के है, अनऐम्पलाएज ग्रेजुएटस है टेक्निि ायन्ज है, वे अपना

धन्धा भुरू करना चाहते है तो सरकार ने यह कर दिया कि सरकार यदि दस लाख रूपये कर्जा दे देगी तो उसमे मैनेजिंग डायरैक्टर और डारैक्टर्ज रखेगी। डायरैक्टर्ज का जहां तक ताल्लूक है वह तो ठीक है लेकिन मैनेजिंग डायरैक्टर की सारी पावर्ज के साथ जो भी कमेटी की पावर्ज है उनको सुपरसीड करके अगर ऐडमिनिस्ट्रैटर सरकार लगा दे तो फिर इसको क्यो कहते है कि यह कोआप्रेटिव सोसाईटी का महकमा है? डिपार्टमैंट जहा चाहे सोसाईटी खुलवा सकता है। लेकिन इस तरह से यह तहरीक है, यह हरियाणा से खत्म होती जा रही है। स्पीकर साहब, तो खुद इस महकमें के इन्चार्ज रहें। आपने भी इसमे काफी रिफार्म किये है, लोगो की सहूंलियते दी है। आपके टाईम पर भी इस महकमे ने काफी तरक्की की थी। कोआप्रेटिव मूवमैंट पर डिपार्टमैंट का इतना कंट्रोल नही होना चाहिए। आप बे ाक सैक ान 60–ए भी लागे कर दे लेकिन इसके बावजूद भी क्या नतीजा होता जा रहा है कि लोगो मे दह ात बढती जा रही हैं कोआप्रेटिव सोसाइटी का टैरेर है। गांवो मे लोगो ने प्राईवेट मनी–लैंन्डर्ज से पैसा लेना भुरू कर दिया है। फसल के मौके पर कोआप्रेटिवप डिपार्टमैंट के अफसरान जीप मे जाते है और रात को ही लोगो का पकड़ लाते है। यहा तक हालत है कि खेतों मे जाते है खेतों मे काम करते हुए लोगों को हल चलाते हुए पकड़ लाते है। खेत मे हल खड़े का खड़ा रह जाता है। इस तरह से उस गरीब का खेत बिना उपज के रह जाता हैं। उन गरीबो को पकड़ लाते है ओर अपने दफ्तर के कमरों मे या बाथरूम मे रोक देते है, जेल मे नही

रोकते है। उनके घर वाले मारे मारे फिरते है कि कहां गया, जेले मे मिलता नही, घर पहुंचता नही है। इस तरह से घर वालो को भी परे ाान किया जाता है। स्पीकर साहब, मुझे याद है कि बहुत अर्से पहले सरदार इकबाल सिंह, ज्वायंट रजिस्ट्रार होते थें। वे रोहतक और करनाल जिले मे लगे हुए थें। उनको भी इसी तरह से जबरदस्ती देहातीयों से पेसा रिकवर किया था, तब भी यह कोआप्रेटिव मूवमेंट खत्म सी हो गई थी।

अब फिरप दुबारा लोगो न अन्दर प्रचार किया गया था, फिर वह चालू हुई थी। अब जो ढंग सरकार ने अपनाया है इससे यह तहरीक बिल्कूल खत्म हो जायेगी। गरीब आदमी जो कोआप्रेटिव सोसाइटीज से पैसा ले लेते थें, अब उनकों फिर मनी–लैंन्डर्ज से पैसा लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर कोआप्रेटिव की यही निती रही तो कोआप्रेटिव के नजदीक हरियाणा मे कोई भी आदमी नही जायेगा और यह तहरीक खत्म हो जायेगी।

इन भाब्दों के साथ स्पीकर साहब, मै आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि जहां इस ''बिल'' से सरमायदारों का कन्ट्रोल होगा जैसे भूगर मिल बैक्स है या और इस किस्म की दूसरी सोसाईटीज है तो यह तहरीक बिल्कूल खत्म हो जायेगी। जो नौजवान तबका अन–एम्पलायड है, थोड़ा बहुत अपना काम करना चाहता है, वह भी नही करेगा। सरकार ने जितने भी सेक्रेटरी वगैरह लिए है, वे अपनी मर्जी के मुताबिक लिए है। तो यह कोई

इन्साफ की बात नही है। तो यह कोई इन्साफ की बात नही है इस तरह से हरियाणा कोआप्रेटिव को तरक्की नही मिलेगी बल्कि खत्म हो जायेगी।

श्री के.एन. गुलाटी(फरीदाबाद): स्पीकर साहब, यह जो बिल हमारे सामने है यह बहुत अच्छा बिल है। यह बिल बड़ी भाुद्व भावना से लाया गया हैं। खामखाह ही क्रिटिसिजम करना कोई अच्छी बात नही हैै। सरकार जो भी बात करती है वह बड़ी सोच समझ के साथ करती हैं। कोआप्रेटिव सिस्टम को चालू किया गया है यह डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रीय तरीका है। सरकार ही इस बात को भली प्रकार से जानती है कि जनता के हिज मे होगा या उसके उलट होगा। कहना तो आसान है लेकिन करना बड़ा मु कल है। चीफ मिनिस्टर साहब या दूसरे मंत्री साहेबान दिनरात मेहनत करके योजना बनाते है, कोई आसान काम नही है क्रिटिस्जिम करना तो आसान हैं। सरकार को अच्छी तरह से पता है कि यह अच्छा है या बुरा है या जो भी किया है यह बिल्कूल लोकतन्त्र तरीके से ठीक किया है।

स्पीकर साहब, मै आपके जरिए सरकार के नोटिस मे एक बात लाना चाहता हूं कि हमारे जो कोआप्रेटिव कन्जयूमर स्टोर है उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमारे यहां फरीदाबाद मे एक लाख रूपये का सामान स्टोर मे पड़ा हुआ है।

चौधरी रिजक रामः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। इसकी किबल के साथ क्या रैलेवेन्सी है? The hon. Member should speak either on any clause or on the provisions of the Bill.

Mr. Speaker: Order please.

श्री के.एन. गुलाटी(फरीदाबाद): जब ये गलत लाईन पर चलते है तोइसको नही रोका जाता .. . .

Mr. Speaker: Order please. जो इरनेलेवेन्ट होगा, उन सब को रोकना मेरा काम होगा।

श्री के.एन. गुलाटी(फरीदाबाद): मै चाहता हूं कि स्टोर मे जो स्टाक हुआ है उसको डिस्पोज आफ किया जायें। वहां पर कुछ कपड़ा भी सील किया गया है। वह वहां पर खराब हो रहा है। जो भी इस गलती के जिम्मेदार है उनके खिलाफ ऐक ान लिया जायें। जिसका वह कपड़ा है उसकों फेसला करके दे दिया जायें। इन भाब्दो के साथ मै इस बिल की ताईद करता हूं।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, जो मोजूदा अमैन्डमैंट सदन के सामने है मै इसकी ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आनरेबल मैम्बर चौधरी रिजक राम जी ने इस बिल के बारे मे काफी क्रिटिसिज्म किया है और कोआप्रेटिव डिपार्टमैट के बारे मे यह भी कहा कि यह हिन्दूस्तान मे काफी बदनाम हो गया है। मै बड़े अदब के साथ चाहूंगा कि

कुछ वैस्टिड इन्डस्ट्रीज जो थे इस कोआपरेटिव महकमें मे छाए हुए थें और गरीब तबके तक इसका हवा का झोंका तय नही जाने देते थें। उन लोगों के इन सोसाइटीज पर छा जाने की वजह से गरीब लोगो के अगूंठे लगवा कर पैसा ले लेतू थे और बाद मे वे गरीब बेचारे खिंचें खिंचे फिरते थे। इस प्रकार की सब गड़बड़ी को बन्द करने के लिए और लोगो की भलाई के लिए सरकार कुछ अमैंडमैंट करना चाहती है लेकिन ये अपोजी ान के भाई उन गरीबों की भलाई नही देखना चाहते है। इसके पेट मे दर्द होता हैं। तो मै समझता हूं कि इस बिल मे जो भी अमेंडमैंट सरकार लायी है वह बहुत प्रोग्रेसिव है, वीकर सैक ान की भलाई के लिए है और वीकर सैक ान का मनैजमैंट मे हाथ हो, सोसाइटी मे हाथ हो, उसके लिए लायी हैं जो कुछ भी किया गया है हालात के मुताबिक, संसार के हालात को देखते हुए वीकर सैक ान को ऊंचा उठाने के लिए ये अमैंडमैंट लायी गई है।

श्री गिरी ा चन्द्र जो ी (यमुनानगर): स्पीकर साहब, मै ज्यादा नही कहना चाहता हूं। मुझे तो हंसी इस बात पर आती है कि चौधरी रिजक राम जो इतने सीजन्ड पोलीटि ियन है इन्होने इस बिल के अनैक्सचर को नही पढां। अगर उन्होने इसके अनैक ाचर को पढा़ होता तो यह देख लिया होता। उसमे लिखा है:—

"Provided further where the employer has contributed to the share capital of teh employee Co-Operative Societies to the extent of Ruppes 2500 or more the employer

shall have right to nominate three members or one-third of the total members, whichever is less, on teh committee of such society."

वही चीज इस बिल मे रखी गई है। अगर उसके एम्ज आब्जैक्टस को पढा़ होता तो उनका सही पता लग जाता। इस बिल मे अमैंडमैंट लाने का मकसद ही महज यह है कि वीकर सैक ान का आज तक सोसाईटीज की कोआपरेटिव मूवमेंट मे कोई मौका हीनही मिला और उन्होने गरीब लोगा को दबाया हुआ था आज इस चीज को दूर करने के लिए मौका मिला हैं कुछ इम्प्रूवमैंट की है। इन भाब्दो के साथ मै इस बिल की ताइद करता हूं।

12.00 बजें

गृह मंत्री स्वास्थय राज्य मंत्री (श्रीमती भाारदा रानी): माननीय अध्यक्ष महोदय यह जो कोआप्रटिव का बिल अभी आया है और इसमे चौधरी ि ाव राम वम्र जी ने कुछ भाब्दों के साथ इसका क्रिटिसिज्म भाुरू किया। पहली बात तो यह कही कि यह जो क्लाज 2 है इसका कोई ऐक्सट्रैक्ट ही नही दिया गया है। इस विशय मे ऐक्सट्रैक्ट की ऐसी बात नही थी। इसमे यह सिर्फ डेफिने ान को रिलेट करता है कुछ नई डेफिने ान जो यहां पर दे दी गई है जैसे वीकर सैक ान के बारे मे है कि वीकर सैक ान मीन्जः—

(i) Agriculture laboures, marginal farmers and shall farmers, as fefined in section 2 of the Haryana Relief of Agriculture Indebtedness Act, 1976;

(ii) members of Scheduled Castes and such other economically and socially backwar or neglected persons as the Government may, form time to time, specify in this behalf".

तो इस तरह से अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट मे जो अमैंडमैट की जा रही वह सोसाइटी मे, साज मे जो एक वाछिंत चीज है समे एक बड़ी भारी ड्रास्टिक चैंज लाने के लिए यह अमैंडमैंट की गई है। अब तक ये जो हमारी कोआप्रेटिव सोसाइटीज थी उनके अन्दर एक बड़ी अजीक स्थिती थी। इसमे ऐसा पदाधिकारी ही नही थें जो उसका ईक से संचालन कर सकें। कोआप्रेटिव सोसाइटीज या उसके कागजात या उसके रजिस्टर किसी एक कोआप्रेटि सोसाइटी के जरिए सैक्रेटरी होता था। इस तरह की बहुत सारी सोसाइटीज थी और आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय आपके पास भी यह डिपार्टमैंट काफी समय तक रह चुका हैं कि कितनी भारी संख्या मे इस प्रकार की दखास्ते आती थी कि पैसाी किसी ने लिया और नाम किसी के चढ रहा है। जब सोसाईअी के पदाधिकारी कर्मचारी वसूल करने के लिए जाते थे तो जिसने वह पैसा नहीले रखा है वे उन गरीब आदमियों से डिमाण्ड करते थे और फिर इंकवायरी, वसूली की बड़ी भारी परे ाानियों का सामना लोगो का करना पड़ता था। आज भी उन पुरानी सोसायटियों की दरखास्ते बराबर हमारे पास इन्ही भाईयों

के जरिए आती है और बहुत सारी ि ाकारयेत आती है। इनप कमियों को दूर करने के लिए हमने सारी सोसायटिदयो को अमलगामेट करके एक बहुत अच्छ बाचबल यूनिट मे परिवर्तित कर दिया है। 14 हजार सोसायटीज मे से 2138 सोसायटीज हमने हरियाणा के अन्दर बना दी हें एक पटवार सर्किल मे एक सोसाईटी बनाई है तो एक बड़ा बाचबल यूनिट होगा जिसके अन्दर एक होल टाईम मैनेजर होगा और साथ ही उसकी एक्ओविटिीज पर अच्छी नजर रहेगी। चैक के जरिएा पैसा दिया जाएगा और जो गड़बड़ी अब तक होती रही है उसको पूरी तरह से चैक किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, उसके लिए उसमे एक नई जो तरमीम की गई है वह यह है कि जब तक जो सोसायटीज लोन देतरी थी उसमे आम तौर पर ऐग्रीकलचार लोन ही दिए जाते थे लेकिन देहात के अन्दर जो दूसरे लोग है हरिजन है ि ाडयूल्ड कास्टस है बैकवर्ड है आटिजंज है उनको अब तक कोई लोन इन सोसायटीज के द्वारा नही दिया जाता था। क्यों कि आज समाज मे हमारी प्रधान मंत्री के आदे ाानुसार एक बहुत बड़ी क्रांति चल रही हैं इन लोगो को भी दूसरे लोगो के साथ मिलाकर चलना है तो इसलिए उनको भी अब लोन देने का प्रोवीजन किया गया है। उनको जब लोगन देने का प्रोवीजन किया गया है तो स्वाभाविक बात है कि इन लोगो को सोसायटीज का मैम्बर बनाना जरूरी हैं और मैम्बर्ज होना जरूरी है तो यह भी जरूरी है कि इनका रिप्रिजैन्टे ान भी इन कमेटीज के अन्दर होना चाहिए। वन थर्ड रिप्रिजेन्टेटिव इनके इन कमेटीज मे रखे जाएगे और इस चीज का

तो इन भाईयों को बड़ा हर्श होना चाहिए। वन थर्ड रिप्रिजेन्टेटिव इनके इन कमेटीज मे रखें जाएंगे और इस चीज का तो इन भाईयो के बडा़ हर्श होना चाहिए इनको बड़ा स्वागत करना चाहिए कि ऐसे तबके की तरफ सोसायटी देख रही है जिनकी तरफ पहले कभी नही देखा गया था तो यह एक बड़ी अच्छी बात है। क्रिटिसिजम करना एक अलग बात है। दूसरी बात, चौधरी रिजक राम ने कहा कि जबरदस्ती मैम्बर बनाया जा रहा है। जबरदस्ती मैम्बर कहा बनाया जाता है? क्या कोई जबरदस्ती ऐप्लीके ान देगा? ऐप्लीके ान देने का मतलब है कि उस आदमी ने इच्छा जाहिर की कि वह सोसायटी का मैम्बर बनना चाहता है उस आदमी ने इच्छा जाहिर की कि वह सोसायटी का मैम्बर बनना चाहता है और दूसरी जो कंडी ानज है वे जरूर पूरी की जाएगी। वे पूरी करने के बाद उस आदमी को उस दिन से मैम्बर माना जाएगा जिस दिन ऐप्लीके ान देता है। इसका मतलब यह है कि जिस दिन उसने ऐप्लीके ान दी उस दिन से उसने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है वह सोसायटी का मैम्बर होना चाहता है। इच्छा जाहिर करने का मतलब जबरस्ती तो होता नही है पता नही कि उन्होने कैसे यह भाब्द कह दिए कि जबरदस्ती मैम्बर बानाया जा रहा हैं।

एक दूसरी बात इन्होने और कही कि ऐम्पलाइर्ज यहा एम्पलाईज की कोआप्रेटिव सोसायटीव मे 2500 रूपया देगे तो वहां तीन मैम्बर अपने नौमिनैट कर सकते है और उनका इन्होने

क्रिटिसीज्म किया और उसमे उन्होने अध्यक्ष महोदय, भाूगकेन ग्रोअर्ज की जो सोसाइटीज है उनका उदाहरण दिया। जो भाुगरकेन ग्रोअर्ज है they are not the empliyees of anybody, invidividual or sugar-cane grower's society. वह तो अपनी इंडिपेन्डैंट कोआप्रेटिव सोसायटीज की जद मे नही आती है। एम्पलाईज कोआप्रेटिव सोसायटीज की जद मे वह सोसायटीज की जद नही आती है। एम्पलाईज कोआप्रेटिव सोसायटी की जद मे वह सोसायटी आती है जहां कोई मिल के या दूसरी किसी संस्था क ऐप्लाईज हो वे अपनी सोसायअी बनाए और उसमे उनका एम्पलायर अपना 25 सौ रूपया डाले या उससे ज्यादा डाले तो वह अपने तीन मैम्अर या वन थर्ड जो भी नम्बर कम हो उतने मैम्बर उसको उसमे नौमिनेट करने का अधिकार होगा। इस पर भी उन्होने कहा कि गवर्नमैंट ने पूरा उन पर कन्ट्रोल कर लिया है फिर काहे की इंडिपैन्डैंस रही। अध्यक्ष महोदय, आपको पता होगा कि किसी भी सोसायअी या बैंक्स या दूसरी जो कोआप्रेटिव बोडीज है वहा पर गवर्नमैंट के पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिया जाता है अदरवाईज वह काम नही कर सकती ओर कही–कही पर सरकार ने बहुत बड़ी रकम ही उसके लिए ग्रान्ट भी दी हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सोसायटीज की हालत क्या रही हैं वैस्टिड इन्ट्रैस्टस ने सारे पैसो को खा लिया, खत्म कर दिया या मिसयूज कर दिया और चीज घाटे मे गई। तो अगर सरकार का रिप्रेजेन्टे ान या उन बौडीज का रिप्रेजेन्टे ान उन कमेटीज मे नही रहेगा तो जो फाईनैन्स करे जो उनका भोयर मनी

है वह तो गया ही और हाथ मे जो सरकार ने ग्रान्ट दी है, सरकार ने जो पैसा दिया ाि फाईनैन ाल कार्पोरे ान ने जो पैसा दिया, उनाक पैसा भी साथ मे गया। उनके इंट्रैस्ट को सेफगार्ड करने के लिए और वाच करने के लिएा कि कही पैसो का मिसयूज तो नही कर रहें है। वह वैस्टिड इंट्रैस्टस उनका रिप्रिजैन्टे ान होना बहुत जरूरी है लेकिन मैजोरिटी जो होगी वहां पर उन रिप्रिजैन्टेटिवज की ही रहेगी जो कोप्रेटिवज के रिप्रिजैटिव है या लोगो के रिप्रेजेटेटिव्ज है उनकी मैजोरिटी रहेगी और वहा पर कोई इस प्रकार की बात नही होगी जिससे यह कहा जो सके कि उनके ऊपर कोई जबरदस्ती की जा रही है। इन सब बातों से और दूसरी चीजों से ये चेजिज हुई है। अध्यक्ष महोदय, अगर वे स्अेटमैंट आफ आबजैक्टस एंड रीजन्स पढते तो साफ हो जाता कि पहली चीज तो सबसे बडी यह कि जो वीकर सैक ान है उसको रिप्रेजैन्टे ान देने के लिए की गई है दूसरे उन्होने कहा कि यह जो सोसायटीज के 25 सौ रूपए वाली बात कही है कि गवर्नमैंट वहां पर अपना कोई नोमिनी रखेगी, यह ऐक्ट मे प्रोवाइडिड है, यह कोई नई अमैन्डमैंट नही है तो उन सब चीजो को ध्यान मे रख्ते हुए अध्यक्ष महोदय, मै उनसे निवेदन करूंगी कि जरा एक्ट को अच्छी तरह से पढें और जो अमैंन्डमैंट आई है उसको भी अच्छी तरह से पढें और वह ऐप्रि ाएट करेगे कि इस समय कोआप्रेटिव डिपार्टमैंट के अन्दर या इसकी वर्किंग के अन्दर ड्रास्टिक चैज लाई जा रही है ताकि ज्यादा अच्छी तरह से यह

डिपार्टमैंट काम करें, ज्यादा सफल हो सके। इन भाब्दों के साथ मे मै निवेदन करूंगी कि इस बिल को पास कर दिया जाए।

Mr. Speaker: Question is—

That this house disapproves the Punjab Co-Operative Societies (Haryana Second Amendment) Ordinace, 1976 (Haryana Ordinace No.2 of 1976)

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That this house disapproves the Punjab Co-Operative Societies (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the bill clause by clause.

Clauses 2 & 8

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 2 and 8 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Clauses 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 1 stand part of the Bill.

The Motion was carried

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the title of the Bill.

The Motion was carried.

State Minister for Home and Health (Shrimati Sharda Rani): Sir, I beg to move—

That the Punjab Co-Operative Societies (Haryana Second Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the Punjab Co-Operative Societies (Haryana Second Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Punjab Co-Operative Societies (Haryana Second Amendment) Bill be passed.

The Motion was carried

दि ईस्ट पंजाब मोलैसिज (कन्ट्रोल) हरियाणा अमैटमैट बिल, 1976

Excise and Taxtion Minister (Shri Shyam Chand): Sir, I beg to introduce the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill, 1976.

Sir, I beg to move—

That the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried

Mr. Speaker: Now the House will take up the bill clause by clause.

Clauses 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 2 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Clauses 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 1 stand part of the Bill.

The Motion was carried

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the title of the Bill.

The Motion was carried.

Excise and Taxtion Minister (Shri Shyam Chand): Sir, I beg to move—

That the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill be passed

The Motion was carried

दि इंडस्ट्रियल डिस्पयूटस (हरियाणा अमैडमैट) बिल, 1976

Transport Minister (Shri K.L. Poswal): Sir, I beg to introduce the Industrial Disputes (Haryana Amendment) Bill, 1976.

Sir, I beg to move—

That the Industrial Disputes (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the Industrial Disputes (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once

Mr. Speaker: Question is—

That the Industrial Disputes (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once

The Motion was carried

Mr. Speaker: Now the House will take up the bill clause by clause.

Clauses 2

Sh. Gulab Singh Jain (Hissar): Sir, I beg to move—

In parts (ii) for the words "or an Administrative Secretary to Government", the words or an Administrative Secretary to Government or and officer of the Labour

department not below the rank of a Joint Labour Commissioner" be substituted.

Mr. Speaker: Motion Moved—

In parts (ii) for the words "or an Administrative Secretary to Government", the words or an Administrative Secretary to Government or and officer of the Labour department not below the rank of a Joint Labour Commissioner" be substituted.

Mr. Speaker: Question is—

In parts (ii) for the words "or an Administrative Secretary to Government", the words or an Administrative Secretary to Government or and officer of the Labour department not below the rank of a Joint Labour Commissioner" be substituted.

The Motion was carried

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 as amended, Stand part of the bill.

The Motion was carried

Sh. Gulab Singh Jain(Hissar): Sir, I beg to move—

In parts (ii) for the words "or an Administrative Secretary to Government", the words or an Administrative Secretary to Government or and officer of the Labour department not below the rank of a Joint Labour Commissioner" be substituted.

Mr. Speaker: Motion Moved—

In parts (ii) for the words “or an Administrative Secretary to Government”, the words or an Administrative Secretary to Government or and officer of the Labour department not below the rank of a Joint Labour Commissioner” be substituted.

Mr. Speaker: Question is—

In parts (ii) for the words “or an Administrative Secretary to Government”, the words or an Administrative Secretary to Government or and officer of the Labour department not below the rank of a Joint Labour Commissioner” be substituted.

The Motion was carried

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 3, as amended, Stand part of the Bill.

Clauses 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 1 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the title of the Bill.

The Motion was carried.

Transport Minister (Shri K.L. Poswal): Sir, I beg to move—

That the Industrial Disputes (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the Industrial Disputes (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Industrial Disputes (Haryana Amendment) Bill be passed.

The Motion was carried

दि पंजाब खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड (हरियाणा अमैडमैट) बिल, 1976

Industries Minister (Shri Harpal Singh): Sir, I beg to introduce the Punjab Khadi and Village Industries Board (Haryana Amendment) Bill, 1976.

Sir, I beg to move—

That Punjab Khadi and Village Industries Board (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That Punjab Khadi and Village Industries Board (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That Punjab Khadi and Village Industries Board (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried

Mr. Speaker: Now the House will take up the bill clause by clause.

Clauses 2 and 3

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Clauses 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 1 stand part of the Bill.

The Motion was carried

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the title of the Bill.

The Motion was carried.

Industries Minister (Shri Harpal Singh): Sir, I beg to move—

That Punjab Khadi and Village Industries Board (Haryana Amendment) Bill passed.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That Punjab Khadi and Village Industries Board (Haryana Amendment) Bill passed.

Mr. Speaker: Question is—

That Punjab Khadi and Village Industries Board (Haryana Amendment) Bill passed.

The Motion was carried

दि हरियाणा रेज–कोर्सिज लाईसैंसिंग बिल, 1976

Excise and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand): Sir, I beg to introduce the Haryana Race-Courses Licensing Bill, 1976.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Race-Courses Licensing Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the Haryana Race-Courses Licensing Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is

That the Haryana Race-Courses Licensing Bill, be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Now the house will take up the bill Clause by Clause.

Sub-Clauses (2) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub-Clauses (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Clauses 2 to 12

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 2 to stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Sub-Clauses (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub-Clauses (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the title of the Bill.

The Motion was carried.

Excise and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand): Sir, I beg to move—

That the Haryana Race-Courses Licensing Bill passed.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the Haryana Race-Courses Licensing Bill passed.

Mr. Speaker: Question is

That the Haryana Race-Courses Licensing Bill passed.

The Motion was carried.

दि पंजाब भूदान यजना (हरियाणा अमैडमैंट) बिल, 1976

Revenue Minister (Pandit Chira): Sir, I beg to introduce the the Punjab Bhudan Yagna (Haryana Amendment) Bill, 1976.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Bhudan Yagna (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the Punjab Bhudan Yagna (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is

That the Punjab Bhudan Yagna (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Now the house will take up the bill Clause by Clause.

Clauses 2 to 5

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 2 to 5 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the title of the Bill.

The Motion was carried.

Revenue Minister (Pandit Chira): Sir, I beg to move—

That the Punjab Bhudan Yagna (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the Punjab Bhudan Yagna (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is

That the Punjab Bhudan Yagna (Haryana Amendment) Bill be passed.

The Motion was carried.

दि डौरी प्रोहिबि ान (हरियाणा अमैडमैट) बिल, 1976

Excise and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand): Sir, I beg to introduce the Dowry Prohibition (Haryana Amendment) Bill, 1976.

Sir, I also beg to move—

That the Dowry Prohibition (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the Dowry Prohibition (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is

That the Dowry Prohibition (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

चौधरी ि ाव राम वर्मा (नीलोखेंड़ी): अध्यक्ष महोदय, इसके बारे मै दो तीन सुझाव देना चाहता हूं क्योकि इसमे काफी

डिसक्रिमिने ान की गई हैं। पहले इसके आब्जैक्ट एंड रीजंज मे जो दिया गया है उसके बारे मे मै कहूंगा कि इसमें कहा गया है कि पति को कम्पैल किया जाए कि वह पत्नी का खर्चा ओटे। तो इसमे केवल पति को ही पत्नी का खर्चा ओटने के लिए कम्पैल किया जाएगा, यदि पति को पत्नी को छोड़ कर चली जाए तो वह क्या वह भी उसको खर्चा देगी। हमने कई जगह देखा है कि पत्नी पति को छोड़ कर चली जाती है तो वह बेचारा मारा मारा फिरता रहता हैं. . . .

विकास एंव सीानीय प्र ाासन राज्य मंत्री(चौधरी गोवर्धन दास चौहान): क्या आपको तो कोई खतरा नही हो गया? (हंसी) . .. .

चौधरी ि ाव राम वर्मा : केवल मेरे को नही, आपको भी खतरा हो सकता है।

श्री अध्यक्षः : इनके तो पहले ही 12 बच्चे है इनको क्या खतरा हो सकता है। (हंसी)

चौधरी ि ाव राम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, कई बार ऐसा होता है कि लड़के वालो को लड़की वालो को पैसा देना पड़ता है तो अगर पत्नी बाद मे उसे छोउ़ कर चली जाए तो उसके पैसे बेकार जाएगें इसलियें यह भार्त दोनो तरफ लगाई जाए। इसके अलावा एक डिसक्रिमिने ान मै और समझता हूं। सैक ान 2 की बी मे आया है किः—

(b) by the paresnts of either party to a marriage or by any other person, ot either party to the marrige or to any other person;

इससे आगे है किः—

at or before or after the marriage as consideration for the marriage of the said parties, bu . . . .

यह जो बट है यह क्यों है, इसमे सारी चीजे होनी चाहियें

but does not include dower or mahr in the case of person to whom the Muslim Personal Law(Shariat) applies.

यह नही होना चाहिये। जो भी कानून भलाई का समझते हों वह सब के ऊपर लागू होना चाहिये। इस तरह की डिसक्रिमिने ान नही होनी चाहिये। इससे आग क्लाज 3 की सब क्लाज 'एफ' मे लिखा हैः—

"3. Bar of certain acts.& No Person shall-

* * * ** * * * * *

(f) deny conjugal rights to his wife on teh ground that dowry has . . . . or the dowry given is insufficient.

ट्रेजरी बैंचिज की तरफ से आवाजेः मेरे पास जो कापी है इसमे तो 'has not given' लिखा

चौधरी ि िव राम वर्मा : मेरे पास जो कापी है इसमे तो 'has been given' लिखा वह आप पता नही कहां से ले आए है? उसके पति के ऊपर तो जिममदारी डाली गई है अगर वह अपनी पत्नी को ठीक तरह नही रखता तो उसको उसे खर्चा बरदास्त करने का प्रोवीजन आपने इसमे नही रखा जो कि होना चाहिए, मै उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि हमारे गांव के आसपास ढहे कौम (ौड्यूल्ड कास्ट्स) के लोग है उनके यहां पर रिवाज है कि अगर लड़का लड़की वालो को 850 रूपए दे दे तो लड़की उसके पास जाती है यदि वह नही दे पाता तो उसको लड़की के मां बाप के घर रहना पडता है तो ऐसे हालात मे वह लड़की जिसको पैसो देकर उसको भी तो पत्नी की ओर से खर्चा मिलना चाहिए, वह भी आप की जतना है उनका भी आप को ख्याल होना चाहिए।

मै एक सुझाव और देना चाहता हूं कि वह यह है पहले आपने 5 हजार रूपए भाादी के लिए दहेज समेत रखें थे लेकिन अब तो दहेज निकाल दिया गया है कोई दहेज नही दे सकता लेकिन खर्चा फिर भी आपने 5 हजार ही रखा हैं। यह एक अनोमलस सी चीज है जिससे कि गरीब आदमियों का लाभ होने वाला नही है इसलिए यह खर्चा मै समझता हूं 5 हजार से कम करके एक हजार कर दिया जावें तो बेहतर होगा। इसके अला9वा एक और बात मै कहना चाहता हूं जो 25 बारातियों के साथ बाजे

वाले ले जाने की बात थी। यह अलग अलग न रखें बल्कि आप 25 बाराती रखें और उनके बीच मे ही बाजे वाले हों?

परिवहन मंत्री(श्री के.एल. पोसवाल): स्पीकर साहब, वर्मा साहब जैसे मजबूत आदमी तो गले मे ढोल डाल कर भी ले जायेगें।

श्री अध्यक्षः : वर्मा साहब आप और पोसवाल साहब, बाजे वालों पर झगडा क्यो कर रहें हैं। (हंसी)

चौधरी ि ाव राम वर्मा : स्पीकर साहब, मेरा उनसे कोई झगडा नही है। मै मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर वे मेरे सुझावो को मान ले तो गरीब आदमियों को ज्यादा फायदा होगा नही तो केवल प्रचार ही रह जायेगा।

Excise and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand): MR. Speaker, Sir, as the House is well aware, the Haryana Dowry Prohibiton bill was passed by the Vidhan Sabha in its last session. But there were certain difficulties due to which it has not been assented to by the President.

Sir, Mr. Verma has said that there is a discrimination. If there is any discrimination, it is in favour of the weaker sex. Certainly, Rs. 5000 is the maximum limit. If anybody cannot afford to spend Rs.5000 he can spend less. But for minimum there is no limit prescribed. If a nam wants to spend Rs. 5 or Rs.10 or rupee 1, there is no such fear that the marriage will not be recognised by any court of low. If a man is rich he cannot display his wealth.

चौधरी ि ाव राम वर्मा : आप तो हिन्दी मे बोल दें।

श्री भयाम चन्दः आप तो वर्मा साहब अंग्रेजी मे पढ रहे थें।

चौधरी ि ाव राम वर्मा : मै तो जो आपका दिया हुआ था उसी का पढ रहा था।

श्री भयाम चन्दः अध्यक्ष महोदय, दो तीन बाते इसमे थी एक जो इसमे 6 महीने की इम्प्रिजनमैंट और 5 हजार फाइन रखा था उसको गवर्नमैंट आफ इंडिया के एक्अ के मुताबिक ऐसे कर दिया है दोनो सजाएं इक्टठी भी हो सकती हैं। इसमे स्पीकर साहब, और कोई खास चीज नही हैं, इसलिए इस को पास कर दिया जायें।

Mr. Speaker: Question is

That the Dowry Prohibition (Haryana Amendment) bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the bill Clause by Clause.

Clauses 2 to 4

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 2 to 4 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the title of the Bill.

The Motion was carried.

Excise and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand): Sir, I beg to move—

That the Dowry Prohibition (Haryana Amendment) bill, be passed.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the Dowry Prohibition (Haryana Amendment) bill, be passed.

Mr. Speaker: Question is

That the Dowry Prohibition (Haryana Amendment) bill, be passed.

The Motion was carried.

दि हरियाणा वैट्रनरी काउंसिल बिल, 1976

Finance Minister (Sh. Ram Saran Chand Mittal): Sir, I beg to intorduce the Haryana Veterinary Council bill 1976.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Veterinary Council bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the Haryana Veterinary Council bill, be taken into consideration at once.

श्री जगजीत सिंह टिक्का (नारायणगढ): स्पीकर साहब, यह बिल वैसे बहुत अच्छा है लेकिन इसमे जो बात मैने नोटिस की है उसके बारे मे गवर्नमैंट का ध्यानव दिलाना चाहता हूं। इसमे इन्होने लिखा है कि–

"Person entitled to be registered. Every person Holding any of theQualifications referred to in the schedule . .. . be entitled tto have his have his name entered in the register fo veterinary practitioners"

जो भौडयूल दी है उसमे सिर्फ वही आदमी किए है जिन्होने ग्रेजुए ान की है जब कि आदकियो के ट्रीटमैंट के लिए

जो रिजस्टर्ड प्रैक्टी ानर्स है जो पहले दवा दारू का काम करते थें लेकिन उनके पास डिग्रीज नही है ऐसे लोगो को रजिस्टर्ड किया हुआ है। इसलिए मै यह सुझाव दूगां कि इसमे यह प्रोवीजन किया जाये कि जिस आदमी ने वैट्रनरी महकमे मे पैक्टिस की हो यदि वह रजिस्टर्ड होना चाहे तो वह भी हो सके। इससे लोगो को ज्यादा सुविधा होगी क्योंकि जो डिग्री होल्डर डाक्टर होते है वे रिटायरमैंट के बाद भी गांव मे नही जाते, गांव मे सैटल नही होते। इसलिए मै प्रार्थना करूंगा कि जो कम्पाउंडर या ओर इस किस्म केकाम याह जिनको इस लाईन मे तजर्बा हो उनको रजिस्टर्ड करने के लिए इस एक्ट मे कोई अमैंडमैंट लानी चाहिए ताकि उन्हे भी कोई सहूंलियत मिल सकें।

वित्त मंत्री (श्री राम सरन चन्द मित्तल): स्पीकर साहब, यहबिल उन लोगो की रजिस्ट्रे ान के लिए रखा गया है जिन्होनें वैट्रनरी सायंस मे ग्रेंजुऐ ान की हुई है और वे प्रैक्टिस करना चाहते है या पहले से कर रहे है ताकि उन प्रैक्टी ानर्ज को कंट्रोल करनेके लिए कोई रिक्नाइजड बाडी हो। जहां तक टिक्का साहब यह फरमाते है कि जो कम्पांउडर बगैरा रिटायर हो गए है और जिनके पास सर्विस को ऐक्सपीरिएंस अच्छा हो लेकिनव प्रैसक्राइब्ड क्वालिफिके ांज न हो उनका भी रजिस्टर किया जाए तो उसके बारे मे अलग विचार किया जाएगा। इसमे यह नही आ सकेगा। इन अल्फाज के साथ स्पीकर साहब, मै प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को पास कर दिया जाए।

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Veterinary Council Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Now the House will take up the bill Clause by Clause.

Sub-Clauses (2) & (3) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub-Clauses (2) & (3) of Clause 1stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Clause 2 to 36

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 to 36 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is—

That Schedulesd be the Schedule of the Bill.

The Motion was carried

Sub-Clauses (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub-Clauses (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The Motion was carried

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the title of the Bill.

The Motion was carried.

Finance Minister (Sh. Ram Saran Chand Mittal): Sir, I beg to move—

That the Haryana Veterinary Council Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the Haryana Veterinary Council Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is

That the Haryana Veterinary Council Bill be passed.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: The House stands adjourned sine die.

12.40 बजें

(The Sabha then adjourned * sine die)